सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2020-21

DoIT

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2020-21

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

अनुक्रमणिका

विषय		पृष्ठ संख्या
1.	**परिचय**	
	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	6
	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	9
	राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	9
2.	**प्रशासनिक तंत्र**	9
3.	**विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग**	
	जन सूचना पोर्टल	14
	राजस्थान राज्य डाटा सेंटर (आर.एस.डी.सी)	14
	डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजन (DVAE)	15
	राज उद्योग मित्र पोर्टल (Raj Udyog Mitra Portal)	15
	राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)	16
	ऋणमाफी आवेदन पोर्टल (Loan Waiver Portal)	16
	मीडिया मैनजमेंट सिस्टम (Media Management System)	17
	बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)	17
	भू रूपांतरण प्रणाली (90A)	18
4.	**नीतिगत पहल**	
	आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम	18
	आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति	18
	राजस्थान स्टार्टअप	18
5.	**सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं**	
	राजस्थान सम्पर्क	19
	नागरिक सम्पर्क केन्द्र	20
	विडियो वॉल	20
	राजवीसी	21
	राजनेट	21
	राज वाई–फाई	21

	राजस्वान	22
	ई–मित्र	22
	ई–मित्र प्लस	22
	राज पेमेंट प्लेटफार्म	23
	राज ई–साईन	23
	स्टेट–पोर्टल	23
	एकीकृत सरकारी वेबसाईट / पोर्टल्स	24
	ई–संचार 2.0	24
	राज–मास्टर (स्टेट मास्टर केन्द्रीय डाटा हब)	24
	राज–काज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस)	25
	ई–वॉल्ट	26
	राज एस.एस.ओ. (सिंगल साईन ऑन)	26
	राज मेल	27
	राजबॉट	27
	रोबोटिक्स	27
	आधार डेटा वॉल्ट	28
	राज सेवा द्वार	28
	डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर	28
6.	**मानव संसाधन विकास**	
	सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण	29
	इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	29
	राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन	29
7.	**अन्य विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी सहायता**	
	वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)	29
	आई.टी. इनेबलमेन्ट ऑफ सिलिकोसिस पेशेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड डिसबर्समेन्ट सिस्टम	30
	ई–बाजार	30
	वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)	31
	आरटीआई पोर्टल	31
	एसआईएमएस पोर्टल (SIMS: Sales and Inventory Management System)	32
	अभय कमांड़ एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर	32

एकीकृत भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)	33
रास परियोजना (RAAS)	33
ई–टेन्डर (e-Procurement)	33
एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली	34
राजधरा– एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस)	34
राजमेघ	35
ई–राजस्व न्यायालय (e-Revenue Courts Portal)	36
राजसहकार परियोजना	36
राजनीर परियोजना	37
एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर	37
राज ई. आर. पी.	37
लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम	38
राजफेब (RajFab)	38
स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)	38
लाईट्स–न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & Evaluation System)	39
राज ई–ज्ञान Raj-e-Gyan	39
एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल	39
लर्निंग मेनेजमेण्ट सिस्टम (RAJ-LMS)	40
स्मार्ट क्लास रूम, शिक्षा विभाग (कॉलेज एवं स्कूल शिक्षा)	40
राजस्थान जन–आधार योजना का तकनीकी प्रबन्ध	40
3D स्कैनिंग, मॉडलिंग एवं जयपुर 3D सिटी परियोजना	40
राजस्थान ई–आर्काईवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)	41
आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)	41
राजकिसान साथी	41
सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)	42
आई एम सर्वर	42
Government Schemes Evaluation Management System	42
सोशल मीडिया	43
चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)	44
जनकल्याण पोर्टल	45
सेंट्रलाइज्ड वॉटर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (Water SCADA)	46

	ई—लाइब्रेरी	46
	ज्ञान—दर्पण	47
	हॉस्टल एंड स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम	47
	रीको ईआरपी (RIICO ERP)	48
	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन प्रणाली (IWMS)	48
	ई—पी.डी.एस. (Electronic Public Distribution System)	49
	जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)	49
	राजकौशल	50
	ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)	50
	ई—तुलामान	51
	शहरी स्थानीय निकाय और नगर नियोजन विभाग में एंटरप्राइज—वाइड जीआईएस सिस्टम	51
	COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम	52
8.	**वर्ष वार विगत 3 वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय**	55
9.	**पुरस्कार एवं प्रशंसा**	56

1. परिचय

• सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मार्गदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना।

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्वय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेंसियों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य सॉफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयनके लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ऑटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन।

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापना

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रॉडबैण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना।

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher-Course)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रॉनिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

- **राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड**

वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) स्थापित की गई।

- **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड**

शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना की गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी किये गये हैं।

2. प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है: –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Overall Cadre Strength)

31 दिसम्बर, 2020

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक	8	8*	0
3.	अतिरिक्त निदेशक	15	12	3
4.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
5.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	72	54#	18
6.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	171	132**	39
7.	सहायक निदेशक	1	1	0
8.	लेखाधिकारी	1	0	1
9.	प्रोग्रामर	622	349$	273
10.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	3	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	35	17****	18
12.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
14.	कनिष्ठ लेखाकार	4	2	2
15.	निजी सचिव	1	1	0
16.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
17.	निजी सहायक	1	0	1
18.	सहायक प्रोग्रामर	1074	1023©	51
19.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	1	3
20.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
21.	वरिष्ठ सहायक	7	7	0
22.	सूचना सहायक	6731	4823***	1908
23.	कनिष्ठ सहायक	53	41£	12
24.	वाहन चालक	2	0	2
25.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	9	5@
	कुल	**8828**	**6490**	**2338**

* श्री अमित कक्कड, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत) तकनीकी निदेशक के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

विभाग के आदेश क्रमांक 00531 दिनांक 23.01.2020 के द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) से सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद पर पदोन्नत श्री जीतेन्द्र शर्मा को सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद पर कार्यरत मानते हुए गणना की गई है।

**राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) सीधी भर्ती परीक्षा, 2014 के 29 पदों पर आयोजित सीधी भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 28 अभ्यर्थियों के नाम अभिस्तावित किये गये तथा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक 79176 दिनांक 18.01.2018, एमएल–1871 दिनांक 19.02.18 एवं 00029 दिनांक 20.04.2018 के द्वारा 23 (21+1+1) अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष 6 पदों में से 3 पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट स्टे लिया गया है, 2 पदों पर अदालती स्तर पर कार्यवाही लम्बित है तथा 1 पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर लंबित है, इस प्रकार कुल 6 पद विभिन्न कारणों से रिजर्व रखे गये है। रिक्त पदों की गणना 29 (कुल विज्ञप्ति पद) अभ्यर्थियों को कार्यरत मानते हुए की गई है।

$ श्री प्रदीप यादव, प्रोग्रामर का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में lien (लियन) होने के कारण प्रोग्रामर के कार्यरत पदों में इनके पद को सम्मिलित किया गया है।

****श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

© श्री पुष्यमित्र जैन एवं श्री चेतन प्रकाश शर्मा, सहायक प्रोग्रामर का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में lien (लियन) होने के कारण सहायक प्रोग्रामर के कार्यरत पदों में इनके पदों को सम्मिलित किया गया है। श्री पुष्यमित्र जैन द्वारा lien (लियन) अवधि में पुनः विभाग में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण किया गया है। उक्त संबंध में पत्रावली कार्मिक विभाग को प्रेषित की गई है।

***राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के 1343 (1302+41 MBC) पदों पर आयोजित सीधी भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 1252 पदों पर विभागीय आदेश क्रमांक: एमएल–3175 दिनांक 19.08.2019, 21 पदों पर आदेश क्रमांक 06054 दिनांक 23.

12.2019, 34 पदों पर आदेश क्रमांक 01124 दिनांक 17.02.2020, 23 पदों पर आदेश क्रमांक 04468 दिनांक 29.09.2020 एवं 102 पदों पर आदेश क्रमांक 04969 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन प्रदान किये गये है। 2 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के द्वारा तथा 104 अभ्यर्थियों द्वारा तय समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण उनके नियुक्ति/पदस्थापन आदेश विभाग के आदेश क्रमांक 01241 दिनांक 24.02.2020 के द्वारा निरस्त किये गये। रिक्त पदों की गणना 1343 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत रिजर्व मानते हुये की गई है। सुश्री/श्रीमती रिंकु बागड़ी, सुश्री/श्रीमती अंकिता जैन, श्री विकास कुमार अग्रावत, श्री ललित कुमार नाबेड़ा, श्री नवीन कुमार सैनी एवं श्री बृजेश नैय्यर, सूचना सहायक का अन्य संवर्ग में चयन होने पर विभाग में lien (लियन) होने के कारण सूचना सहायक के कार्यरत पदों में इनके पदों को सम्मिलित किया गया है।

£ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण 36 अभ्यर्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आदेश क्रमांक एमएल–833 दिनांक 10.07.2020 द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन प्रदान किये गये है जिनमें से 5 अभ्यर्थियों द्वारा तय समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने के कारण उनके नियुक्ति/पदस्थापन आदेश विभाग के आदेश क्रमांक 03739 दिनांक 27.08.2020 के द्वारा निरस्त किये गये है। रिक्त हुए 5 पदों में से 1 पद अनुकम्पात्मक नियुक्ति द्वारा भरा गया है तथा 1 पद के विरूद्ध अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दिनांक 26.10.2020 को सुश्री विशाका मीणा द्वारा त्यागपत्र दिया गया। रिक्त पदों की गणना 32 अभ्यर्थियों को कार्यरत मानते हुए की गई है।

@ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक रिक्त पद के विरूद्ध राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अंतर्गत नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)
स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

31 दिसम्बर, 2020

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	1	1	0
3.	तकनीकी निदेशक	5	5$	0
4.	अतिरिक्त निदेशक	9	9&	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	18	17#	1
7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	56	48*	8
8.	सहायक निदेशक	1	1	0
9.	लेखाधिकारी	1	0	1
10.	प्रोग्रामर	39	39**	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2	2	0
12.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	2	2	0
13.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
15.	कनिष्ठ लेखाकार	4	2	2
16.	निजी सचिव	1	1	0
17.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
18.	निजी सहायक	1	0	1
19.	सहायक प्रोग्रामर	89	47***	42
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	1	3
21.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
22.	वरिष्ठ सहायक	7	7	0
23.	सूचना सहायक	366	349£	17
24.	कनिष्ठ सहायक	19	10	9
25.	वाहन चालक	2	0	2
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	9	4
	कुल	**649**	**557**	**92**

नोटः-

$ श्री अमित कक्कड़, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विद्युत), तकनीकी निदेशक के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

& अतिरिक्त निदेशक के 1 पद के विरूद्ध एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) कार्यरत है।

सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के 4 पदों के विरूद्ध एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) कार्यरत है।

* एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 10 पदों के विरूद्ध प्रोग्रामर कार्यरत है।

** विभाग के आदेश क्रमांक 03109/2018 दिनांक 31.08.2018 के द्वारा श्री सौरभ शर्मा, प्रोग्रामर वर्तमान पदस्थापन भामाशाह प्राधिकरण, आयोजना विभाग, जयपुर का वेतन सू.प्रौ.और संचार विभाग में रिक्त प्रोग्रामर पद के विरूद्ध आहरित किया जा रहा है।

*** सहायक प्रोग्रामर के 3 पदों के विरूद्ध सूचना सहायक कार्यरत है।

€ सूचना सहायक के 1 पद के विरूद्ध सहायक प्रोग्रामर कार्यरत है।

· श्री प्रवीण कुमार एवं श्री सतीश कुमार जंगम, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) क्रमशः दिनांक 02.03.2017, एवं 11.12.2019 से, श्री नरेन्द्र मीना, श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री रविन्द्र बैरवा एवं श्री क्षितिज विजय, सूचना सहायक क्रमशः दिनांक 02.03.2017, 14.02.2019, 13.03.2020 एवं 26.08.2020 से निलम्बित चल रहे है।
श्री दीपक कच्छावा, सहायक प्रोग्रामर दिनांक 19.08.2020 से; श्रीमती मिताली जैन, श्री पंकज कुमार, श्री पुष्पमित्र जैन, श्री जय प्रकाश राणा, श्री तरूण शर्मा, सुश्री/श्रीमती सोनम वर्मा, श्री रमाकांत, श्री विनोद कुमार, श्री हंसराज सवासिया, श्री उमेर फारूख उस्ता एवं श्री निर्मल कुमार शर्मा, सूचना सहायक क्रमशः दिनांक 04.08.2020, 25.09.2020, 21.10.2020, 05.08.2020, 04.08.2020, 04.08.2020, 02.09.2020, 04.08.2020, 04.08.2020, 11.08.2020 एवं 14.12.2020 से आदेशों की प्रतीक्षा में है।

यू.आई.डी. प्रोजेक्ट (U.I.D. Head) 3454-02-203-(01)-[01]-[03]

(31 दिसम्बर, 2020)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	ओ.एस.डी.	1	1	–	
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	1	–	
3.	अतिरिक्त निदेशक कम वित्तीय सलाहकार	1	–	1	
4.	अतिरिक्त निदेशक	1	1	–	
5.	प्रोजेक्ट आफिसर	2	1	1	
6.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	–	
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	–	
8.	कनिष्ठ सहायक	1	–	1	
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	–	3	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)
	कुल	**12**	**6**	**6**	

जिला कार्यालय, सू.प्रौ. और संचार विभाग

(31 दिसम्बर, 2020)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	अतिरिक्त निदेशक	2	2
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	31	20*
3.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	27**
4.	प्रोग्रामर	33	17***
5.	सहायक प्रोग्रामर	33	29***
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	33	15©
7.	सूचना सहायक	231	208*****
8.	सहायक कनिष्ठ	33	28

*सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद के विरूद्ध 2 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) पदस्थापित है।

**एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पद के विरूद्ध 1 प्रोग्रामर पदस्थापित है।

***प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 1 सूचना सहायक पदस्थापित है।

©श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II के पद के विरूद्ध कार्यरत है।

****सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 2 सूचना सहायक पदस्थापित है।

*****सूचना सहायक के पद के विरूद्ध 13 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

जिला कार्यालय, सू.प्रौ. और संचार विभाग पंचायत समिति

(31 दिसम्बर, 2020)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	345	127*
2.	सहायक प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	640	282**
3.	सूचना सहायक (पंचायत समिति मुख्यालय हेतु)	985	982***

* ब्लॉक मुख्यालय पर प्रोग्रामर के 345 पदों के विरूद्ध 103 प्रोग्रामर, 2 सहायक प्रोग्रामर तथा 22 सूचना सहायक पदस्थापित है।

'' ब्लॉक मुख्यालय पर सहायक प्रोग्रामर के 2 पद के विरूद्ध सूचना सहायक पदस्थापित है।

*** सूचना सहायक के पद के विरूद्ध 21 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

नोटः–जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग एवं जिला कार्यालय, सू.प्रौ. और संचार विभाग, पंचायत समिति में कार्यालय आदेश क्रमांक एमएल–4715, एमएल–4716 एवं एमएल–4717 दिनांक 22.01.2019 के द्वारा सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति उपरान्त अपने वर्तमान पद पर आगामी पदस्थापन आदेश जारी होने तक अस्थाई रूप से क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण हेतु पदस्थापन आदेश जारी किये गये। वर्तमान में इनको पदस्थापन दिए जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

3. विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

• जन सूचना पोर्टल

जन सूचना पोर्टल अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। "प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम उपयोग लेना पड़े"। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल बनाया गया है, वर्तमान में 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 प्रकार की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

• राजस्थान स्टेट डाटा सेन्टर (आर.एस.डी.सी.)

राजस्थान राज्य डेटा सेंटर (RSDC) राज्य के विभागों/एजेंसियों को G2G, G2C और G2B सेवाओं को सुलभ करने हेतु अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए कुशल इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करता है, जो डेटा प्रबंधन, केंद्रीय संग्रह, आईटी प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की समग्र लागत को कम करने के लिए अग्रणी एक सामान्य बुनियादी ढाँचे पर अपनी सेवाओं/अनुप्रयोगों की मेजबानी करता है।

आरएसडीसी के पास 800 रैक की कुल क्षमता–4 डाटा सेंटर, जयपुर और 1 डीआर साइट, जोधपुर में है। आरएसडीसी–पी4 600 रैक UPTIME टियर–4 डिजाइन प्रमाणित हैं जो 99.995% अपटाइम सुनिश्चित करता है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डेटासेंटर है।

आरएसडीसी अत्याधुनिक इंजीनियर मशीनों आईबीएम प्यूरएप, ओरेकल ऐक्साडेटा, ओरेकल एक्सालॉजिक, माइक्रोसॉफट एज़्योर और सुरक्षा उपकरण जैसे फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, डीडीओएस, डब्ल्यूएएफ, डैम, एसआईईएम, एपीटी, फोरेंसिक आदि से संपन्न है।

आरएसडीसी राजस्थान के साथ–साथ अन्य राज्यों के सरकारी विभागों/संगठनों को को–लोकेशन और क्लाउड सेवाएं IaaS, SaaS, SOCaaS दे रहा है। यह माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एंटरप्राइस एडिशन, आरहेल एंटरप्राइस एडिशन, वेबस्फीयर ऐप सर्वर (WAS) माइक्रोसॉफट–एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल 12सी प्लेटफॉर्म भी प्रदान कराता है।

आरएसडीसी में 400 से अधिक वेबसाइटों की होस्टिंग है जो विभिन्न विभागों की जी2जी, जी2सी और जी2बी सेवाएं प्रदान करती हैं।कुछ प्रमुख वेबसाइटों में; ई–मित्र, ई–पीडीएस, जन आधार सरकार के लाभों को जनता तक पहुँचाने वाली नागरिक उन्मुख वेबसाइट्स हैं– आरपीपी, वीसी, राजएसएसओ, राजमास्टर्स, राज सेवा द्वार आदि का उपयोग मानकीकृत समाधान प्रदान करने वाले प्लेटफार्मों के रूप में किया जाता है– सीसीटीएनएस, एफएमडीएसएस, एसआईपीएफ, ई2ई परीक्षा आदि विभाग–विशिष्ट वेबसाइट्स हैं।

- **डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं ऑथेंटीकेशन इंजिन (DVAE)**

सरकार में दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करने की दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों के प्रमाणीकरण एवं सत्यापन के लिए डॉक्यूमैंट वैरिफिकेशन एवं ऑथेन्टिकेशन इंजिन (DVAE) नामक एप्लिकेशन का निर्माण किया गया है। यह प्रणाली विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेजों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण में पारदर्शिता लाता है एवं दक्षता को बढ़ाता है। वर्तमान में इस इंजिन के माध्यम से 20 प्रकार के दस्तावेज सत्यापित करने की सुविधा उपलब्ध है। इस इंजिन को चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रमुख विभागो मे लागू किया जा रहा है।

- **राज उद्योग मित्र पोर्टल**

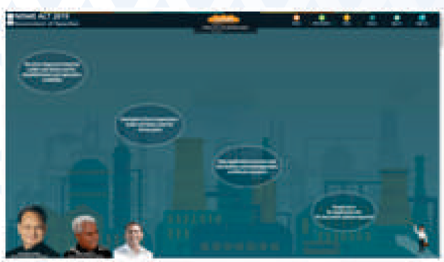

यदि कोई व्यक्ति नये सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (MSME) को शुरू करना या उसे संचालित करना चाहता है, तो उसे एमएसएमई एक्ट 2019 के तहत राज्य में 3 साल तक किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। उद्यमी राज उद्योग मित्र पोर्टल पर आधार नंबर के माध्यम से रजिस्टर करके 3 साल तक का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर सकता है। 3 साल की अवधि के लिए किसी भी कानून के तहत उसके उद्यम का इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा । इस योजना में मुख्य रूप से उन व्यवसायियों

को रजिस्ट्रेशन करने का लाभ प्राप्त होगा, जो कि नये व्यवसाय या स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल की अधिकारिक लिंक https:// rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ है।

Total applications Received : 8439

- **राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD)**

राज्य की डिजिटलाइजेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। विभाग के आंतरिक मानव संसाधनों के कौशल का उपयोग और सम्वर्धन करते हुए उपयुक्त लागत में, विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से राज्य सरकार की आईटी परियोजनाओं को वितरित करने मिशन को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) की स्थापना की गई है।

राजसीएडी को 10 विशिष्ट कार्यक्षेत्रों के लिये प्रथम चरण में 100 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के साथ प्रारम्भ कर दिया गया है। विशिष्ट कार्यक्षेत्रों में प्रचलित डॉट–नेट, पी.एच.पी. एवं जावा तकनीकों पर वैब ऐप्लिकेशन के विकास, जी.आई.एस. आधारित ऐप्लिकेशन के विकास व संधारण, SAS, Tableau एवं BI आधारित ऐनालिटिक्स, ओरेकल, MS SQL एवं MY SQL डेटाबेस मैंनेजमैंट सिस्टम पर Efficient Query विकास कार्य, Code Standardization, UI/UX इत्यादि कार्यक्षेत्र सम्मिलित हैं।

राजसीएडी में कार्यरत कर्मियों द्वारा अब तक 35 से अधिक ऐप्लिकेशन का कार्य प्रारम्भ कर 20 से अधिक ऐप्लिकेशन के विकास का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विशिष्ट कार्यक्षेत्रों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु प्रशिक्षण का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। राजसीएडी द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों का अनुमानित मूल्यांकन रुपये 1.50 करोड से अधिक है। निकट भविष्य में इसके फेज 2 को प्रारम्भ किया जाना है जिनमें नवीनतम तकनीक यथा आर्टीफीशियल इंटैलिजैंस/मशीन लर्निंग, Cloud Computing, Block chain, Internet of Things (IoT) इत्यादि के साथ–साथ Networking and Communication, Enterprise Architecture (IndEA/Open Group Architecture Framework) आदि कार्यक्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है।

- **ऋण माफी आवेदन पोर्टल (Loan Waiver Portal)**

सहकारिता विभाग के लिए ऋण माफी हेतु ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया हैं। इस पोर्टल के माध्यम से ऋण माफी हेतु आवेदन एवं अभिप्रमाणन दोनों आधार (UID) आधारित किए गए हैं। साथ ही में

किसानों का eKYC के माध्यम से सत्यापन किया गया हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी आवेदकों की पहचान हुई है एवं सरकारी खर्चे में कटौती हुई हैं। राजस्थान सरकार के लिए यह पोर्टल बहुत लाभकारी है, इस पोर्टल ने किसानों का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस तैयार करने में मदद की हैं। इस डेटाबेस का उपयोग अन्य कृषक हितेषी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना इत्यादि में उपयोग किया जा सकेगा।

पोर्टल की अधिकारिक लिंक https://lwa.rajasthan.gov.in है।

Total Farmers Registered	:	2,417,478
Total Loan Waiver Amount	:	8,625.13 crore

- **मीडिया मैनेजमेंट सिस्टम (Media Management System)**

बायोस्कोप पोर्टल पर मीडिया प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई हैं। इस पोर्टल पर राज्य भर के जनसंपर्क अधिकारी समस्त समाचार पत्रों की कटिंग मय विवरण अपलोड कर सकते हैं। न्यूज की गुणवत्ता के आधार पर जनसंपर्क अधिकारी अपनी रेटिंग भी प्रदान कर सकते हैं। यह पोर्टल राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों की न्यूज को एकत्रित करने में सक्षम हैं, तथा प्राप्त रेटिंग के आधार पर जिला एवं विभागों के कार्यों की समीक्षा की जा सकती है एवं गवर्नेंस में सुधार किया जा सकता है। किसी विशेष न्यूज के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय संबंधित जिला कलेक्टर अथवा विभागाध्यक्ष से वास्तविक वस्तु स्थिति प्राप्त कर समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार यह पोर्टल मीडिया, प्रशासन एवं सरकार के मध्य जनता की समस्याओं को आगे लाने का एक माध्यम हैं।

- **बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS)**

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (BPAS) विकसित किया गया है। BPAS एक IT आधारित वर्क फ्लो सिस्टम है जो आवेदन जमा करने से लेकर, अनुमति पत्र प्रदान करने तक का कम्पलीट ऑनलाइन समाधान प्रदान करता है। सिस्टम में बिल्डिंग प्लान स्क्रूटनी इंजन शामिल हैं जो पूर्ण स्वचालित तरीके से प्रस्तुत किए गए 2D ड्रॉइंग/3D मॉडल की भवन निर्माण नियमों के आधार पर जॉच रिपोर्ट जारी करता है। एप्लीकेशन को एसएसओ एवं सिंगल विंडोसिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के NOC सुविधा को भी इस सुविधा से जोड दिया गया है।

- **भू रूपांतरण प्रणाली (90A)**

ऑनलाइन भूमि रूपांतरण प्रणाली (90A) एक IT आधारित वर्कफ्लो प्रणाली है जो 90A ऑर्डर जारी करने से लेकर आवेदन जमा करने तक, पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान करती हैं। एप्लीकेशन को एसएसओ एवं सिंगल विंडोसिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है ताकि नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा विवरण मिल सके। प्रोजेक्ट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में IT के प्रभावी उपयोग द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में नगर निकास न्यास एवं विकास प्राधिकरण की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। डैशबोर्ड और एनालिटिकल टूल के माध्यम से सिस्टम की निगरानी और निर्णय लिए जाते हैं।

4. नीतिगत पहल

- **आधार अधिप्रमाणन (Authentication) ईकोसिस्टम**

आधार प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के विभिन्न विभागो द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों तथा अन्य निवासियों के आधार अधिप्रमाणन हेतु आधार अधिप्रमाणन तंत्र की स्थापना की गई है। इस कार्य हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के दो डेटा सेन्टर–हब्बल (बैंगलोर) तथा मानेसर (गुडगाँव) से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के डेटा सेन्टर को सीधा लीज लाईन से कनेक्ट किया गया है। इस तन्त्र द्वारा प्रतिदिन औसतन 13 लाख से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये जा रहे है। पिछले एक वर्ष मे सम्पूर्ण राज्य में इस तंत्र के माध्यम से 48 करोड से अधिक अधिप्रमाणन (Authentication) किये गये है।

- **आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति**

राज्य मे कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु आधार प्रकोष्ठ द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम विकसित किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बायोमैट्रिक को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के डेटाबेस से मिलान कर उपस्थिति दर्ज की जाती है। वर्तमान मे राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति सिस्टम के माध्यम से अपने कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस सिस्टम पर विभिन्न विभागों के 50 हजार से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं।

- **राजस्थान स्टार्टअप**

राज्य में स्टार्टअप क्षेत्र को गति प्रदान करने तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत अनेक नवाचारों को लागू किया गया है। आईस्टार्ट पोर्टल, चैलेन्ज फॉर चैंज, राजस्थान स्टैक, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम तथा इन्क्यूबेटर जैसी सुविधाओं को स्टार्टअप्स हेतु उपलब्ध करवाया गया है।

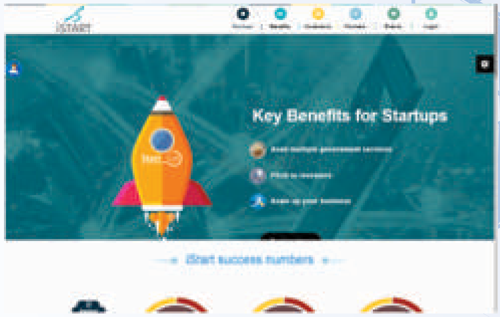

आई–स्टार्ट में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों के लिए आई–स्टार्ट एकीकृत पोर्टल द्वारा इस प्रोग्राम की सभी सूचनाऐं प्रदान की जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से 2000 से अधिक नये स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

स्टार्टअप्स को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, सरकार की ओर से नि:शुल्क Plug and Play सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में Techno Hub, उदयपुर एवं कोटा में 'iStart Nest' incubation centre क्रियाशील हैं। भरतपुर, जोधपुर, अजमेर एवं बीकानेर में तकनीकी शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्थानो में स्थित Incubators की सुविधा जल्दी उपल्बध करवाई जाएगी।

Startups को बढावा देने के लिये witbox media के सहयोग से विभाग में StartupsThinkvid-2020 (Youtuber's conclave) कार्यक्रम का आयोजन किया।

5. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं

· राजस्थान सम्पर्क

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल आमजन को विभिन्न प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने एवं उनकी समाधान प्रक्रिया की ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को आमजन द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान हेतु माध्यम प्रदान करता है। शिकायत दर्ज करने एवं उनकी वास्तविक समय स्थिति की ट्रैकिंग की सुविधाओं के कई माध्यमों के साथ यह सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है। प्रणाली में 67 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं और 66 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है। जिला स्तर पर विषयों और अधिकारियों को जोड़ने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।

सभी विभागों के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रक्रिया की निगरानी की नई प्रक्रिया प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शुरू की गई है। कलेक्टर एवं विभागाधिकारियों को, शिकायतों को

अन्य विभागों में स्थानांतरित करने और किसी भी शिकायत को उनके सम्बन्धित जिलों के दायरे में पुनः कार्यवाही का अधिकार दिया गया है। जिलेवार एवं विभागवार निगरानी को सक्षम बनाने के लिये विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड लॉन्च किये गए हैं जो विभिन्न मापदण्डों पर सम्बन्धित जिलों के शिकायतों के समाधान से सम्बन्धित प्रदर्शन और रैकिंग को दर्शाते हैं। टोल–फ्री नम्बर 181 पर कॉल करके आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकता है तथा शिकायतों के समाधान की वास्तविक स्थिति जान सकता है।

लिंक URL-http://sampark.rajasthan.gov.in/

- **नागरिक सम्पर्क केन्द्र (Citizen Contact Centre)**

नागरिक सम्पर्क केन्द्र के माध्यम से टोल–फ्री नम्बर 1800–180–6127 एवं 181 पर राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जनसमस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेन्टर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेन्टर के अलावा राज्य के अन्य मुख्य विभाग भी CCC से एकीकृत हैं। प्रतिदिन लगभग 50000 से अधिक कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है।

लॉक डाउन दिनांक 24 मार्च 2020 से आज दिनांक तक लगातार राजस्थान संपर्क हैल्पलाईन 181 वार रूम के द्वारा अपनी सेवाये 24X7 सुचारु दी जा रही है। अब तक वार रूम द्वारा 2,81,460 से अधिक शिकायतों/समस्याओं में से लगभग 2,80,581 (99.69%) शिकायतों/समस्याओ को समाधान हेतु विभागों/एजेंसियो को भेजा जा चुका है। प्रवासियों राजस्थानियों के लिये पृथक से टोल फ्री नंबर (6127) जारी कर व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन किया गया।

- **विडियोवॉल**

राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर तक के आमजन/निवासियों के लिये विभिन्न सरकारी नवाचारों, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और लाईव ईवेन्ट्स की ऑडियो–वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रसारण करनें के लिये विडियोंवॉल की स्थापना की गई है। इस वीडियोवॉल पर स्वचलित सूचनाएं समय–समय पर प्रसारित होती है तथा कार्यक्रमों का दृश्य–श्रव्य (live webcast) होता है। वर्तमान में कोरोना महामारी से बचाव हेतु आमजन को इन विडियोवॉल के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।

- **राजवीसी**

राज वीसी परियोजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 440 से अधिक पूर्णतया सुसज्जित वीसी स्टूडियो कार्यरत हैं। नगर निगम स्तर पर भी नए वीसी स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों तथा अन्य विभागीय कार्यालयों में अतिरिक्त वीसी आवश्यकताओं को देखते हुए, 100 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तथा संभागीय मुख्यालयों एवं डीआर साइट पर 8 टेली–प्रेजेंस रूम संचालित किए जा रहे है। नागरिकों तक पहुँच बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित वीसी तंत्र पहले ही विकसित किया जा चुका है, जिसे सम्पूर्ण राजस्थान में व्यापक स्तर पर (लगभग 1500 से अधिक वीसी सत्र प्रति माह) उपयोग किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर आधारित वी.सी. तंत्र का उपयोग, मुख्यतः उन ग्राम पंचायतों पर राजनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है जहां बैंडविड्थ कम है ।

- **राजनेट**

ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, राजनेट परियोजना के अन्तर्गत 9891 ग्राम पंचायतों को राजनेट कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से ई–मित्र, ई–मित्र प्लस, आईपी टेलीफोनी, वाई–फाई, स्काडा, बैंकिंग कॉरेस्पोडेंट, एटीएम आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य में सुशासन सुदृढ़ करने हेतु 17800 से अधिक आईपी फोन्स, ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालयों में लगाये गए हैं। इसी क्रम में 'भारतनेट' परियोजना के अन्तर्गत राज्य की 8505 ग्राम पंचायतों के राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर उच्च गति की इन्टरनेट सेवा उपलब्ध करवाने हेतु मैसर्स बीबीएनएल/बीएसएनएल को कार्य–आदेश दिये जा चुके हैं, जिनमें से 4000 से अधिक ग्राम पंचायतों के राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर भारतनेट कनेक्टिविटी का उपयोग किया जा रहा है।

- **राज वाई-फाई**

राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से राज वाईफाई परियोजना संचालित की जा रही है। राज वाईफाई के द्वारा इंटरनेट उपभोग पर कोई सीमा लागू नहीं है। वर्तमान में लगभग 9513 वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से उक्त सुविधा संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका उपभोग लगभग 82000 उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जो लगभग 25 टीबी डेटा उपभोग प्रतिमाह कर रहें है। राज्य, जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों के सरकारी परिसर, राज्य के विभिन्न राजकीय कार्यालयों, राजकीय शिक्षण संस्थाओं एवं ग्राम पंचायत स्तर तक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जा कर उक्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

- **राजस्वान**

राजस्वान परियोजना के अंतर्गत, 3700 से अधिक सरकारी इमारतों पर उच्च बैंडविड्थ और थ्रूपुट की कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गयी है, जिसमें 5000 से अधिक सरकारी कार्यालय कैप्टिव ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), प्वाइंट टू प्वाइंट (पी2पी) एवं मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्वीचिंग (एमपीएलएस) आदि माध्यमों द्वारा जोड़े गए हैं। इन कार्यालयों में वर्तमान में गर्वमेंट टू गर्वमेंट (G2G) और गर्वमेंट टू कंज्यूमर (G2C) सेवाएं देने के लिए 20000 से अधिक उपयोगकर्त्ता हैं। विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, 2100 किमी. से अधिक लम्बाई की कैप्टिव ओएफसी बिछाई जा चुकी है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर परियोजना के अंतर्गत 4000 से अधिक कैमरे, ओएफसी के माध्यम से जोडे गये हैं।

- **ई-मित्र**

राज्य मे लगभग 88381 से अधिक ई–मित्र किओस्क (लगभग 61631 ग्रामीण क्षेत्र मे एवं 26750 शहरी क्षेत्र में) के माध्यम से आम जन को सरकारी/गैर–सरकारी क्षेत्र की लगभग 475 नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आम जन द्वारा ई–मित्र की सेवाएं ई–मित्र कियोस्क, मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल एवं ई–मित्र प्लस मशीन के माध्यम से भी प्राप्त की जा रही हैं।

- **ई-मित्र प्लस**

ई–मित्र प्लस, ई–सेवा प्रदान करने में एक क्रान्तिकारी कदम है। मानवरहित स्वयंसेवी ई–मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों/संगठनों/सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है। ई–मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है। इन पर नकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल

आदि का भुगतान भी कर सकते है। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण–पत्र, ई–कार्ड (आधार, जन–आधार), पी.वी.सी. कार्ड पर जनआधार प्रिंट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाए उपलब्ध है। वर्तमान में 14,825 ई–मित्र प्लस कियोस्क ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं।

- **राज-पेमेंट प्लेटफार्म**

सभी भुगतानों, प्राप्तियों और लेखा प्रक्रियाओं के लिए एकल एप्लीकेशन जो भुगतान के संवितरण के लिए प्लग–इन के रूप में किसी भी संगठन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। एप्लीकेशन में व्यक्तियों/फर्मों के लिए भुगतान की सुविधा है। किसी संगठन की सभी बैंकिंग प्रक्रियाओं का स्वचालन राज पेमेंट के माध्यम से किया जा सकता है।

- **राज ई-साईन (Raj E-Sign)**

प्रदेश के नागरिकों को आधार आधारित एकीकृत इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई हैं । राज्य सरकार के उपक्रम RISL को Controller of Certifying Authorities, Government of India द्वारा 19 सितम्बर 2019 को Certifying Authority घोषित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियो को डिजिटल सिग्नेचर एवं ई–साईन जैसी सुविधाएं दी जाने लगी हैं। ई–साईन प्राजेक्ट कागज रहित पारदर्शी सरकार की ओर एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट के लागू होने से राज्य के राजस्व में भारी बचत होगी। राज ई–साईन एप्लिकेशन पर प्रतिदिन औसतन 14 हजार एवं पिछले एक वर्ष मे 52 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज किये गये हैं।

- **स्टेट पोर्टल**

यह पोर्टल नागरिकों, राजकीय उपयोगर्ताओं, व्यवसायियों और विदेशी नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी/व्यवहार का एकल स्त्रोत है। इसके साथ सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल जोड़े जा रहे हैं एवं इस पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं के तहत लेन–देन का ब्यौरा भी उपलब्ध रहता है।

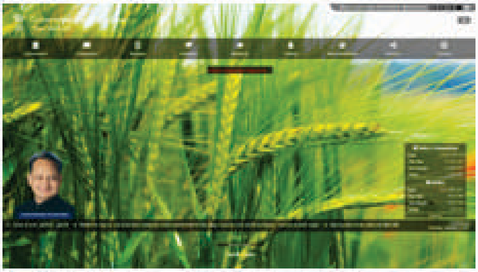

- **एकीकृत सरकारी पोर्टल**

वेबसाईट/पोर्टल/वेब एप्लीकेशन की आसान उपलब्धता पहुँच एवं उत्तरदायी बनाने के लिये समस्त सरकारी पोर्टल का मानकीकरण किया जा रहा है। सभी सरकारी पोर्टल सभी कम्प्यूटर, लेपटॉप, आई पैड, मोबाइल इत्यादि पर क्रियाशील होंगे एवं इन सभी पोर्टल्स के लिये मोबाईल एप्लीकेशन भी उपलब्ध होगी। इसके अन्तर्गत समस्त जिलों की वेबसाईट, डीआईपीआर, ऊर्जा विभाग का पोर्टल, उद्योग विभाग का पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, अरबन पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, परिवहन पोर्टल, कानून एवं न्याय पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, भू राजस्व पोर्टल, माइनॉरिटी विभाग का पोर्टल, पीएचडी जल पोर्टल, आयोजना पोर्टल, आईटी स्टार्टअप वेबसाईट, राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, एवं अन्य कई का निर्माण किया गया है।

- **ई-संचार 2.0**

एकीकृत संचार गेटवे जिसका उपयोग सभी विभागों/परियोजनाओं द्वारा नागरिकों के साथ संचार सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु किया जाता है।

प्रमुख विशिष्टतायें:

- संचार के माध्यम – वॉइस कॉल, एस.एम.एस., आई.वी.आर.एस.
- Text को आवाज़ में बदलने, आवाज की पहचान करने, और आवाज को Text में बदलने की आधुनिकतम स्वचालित तकनीक का उपयोग

वर्तमान स्थिति

- ई–संचार के साथ एकीकृत विभागों/परियोजनाओं की कुल संख्या –70 से अधिक
- वॉइस कॉल की कुल संख्या–2.70 करोड़ से अधिक
- संसाधित एसएमएस अनुरोधों की संख्या–30 करोड़ से अधिक
- आई.वी.आर.एस. आधारित सर्वे हेतु अनुरोधों की संख्या–31 लाख से अधिक

- **राज मास्टर (स्टेट मास्टर केन्द्रीय डाटा हब)**

यह हब विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मास्टर डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकडे जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते हैं, सभी उपलब्ध हैं। डाटा हब विभागीय

ऐप्लीकेशन्स को वेब सर्विसेज के माध्यम से मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इससे विभागीय ऐप्लीकेशन्स मे मास्टर डाटा के इंटीग्रेशन मे समय और धन की बचत होती है। वर्तमान में राज्य के 47 विभाग राज–मास्टर सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। राज–मास्टर एप्लिकेशन मे विभिन्न प्रकार के डेटा के 196 मास्टर उपलब्ध हैं। पिछले एक वर्ष मे इन 47 विभागों द्वारा अपनी विभिन्न एप्लीकेशन में लगभग 22 हजार बार राज–मास्टर में उपलब्ध डेटा का उपभोग किया गया है।

- **राज-काज (इन्टीग्रेटेड राज ई- ऑफिस)**

राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्ड/कॉरपोरेशन इत्यादि में विभागीय प्रकियाओं को ऑनलाईन करते हुए कर्मचारियों/अधिकारियों के हित में राज–काज (इन्टीग्रेटेड राज ई–ऑफिस) परियोजना प्रारम्भ की गई है। इसमें निम्नलिखित सॉफ्टवेयर मॉडूयल के क्रियान्वयन को प्राथमिकता से किया जा रहा है–

1. विभागीय संरचना और कर्मचारी सूचना प्रणाली (Organization & Employee Information System)
2. अवकाश प्रबंधन एवं अवकाश नकदीकरण का आवेदन (Leave Management & Leave Encashment Application)
3. वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report)
4. वार्षिक अचल संपत्ति विवरण (Annual Immovable Property Return)
5. डाक प्रबंधन (Dak Receipt & Dispatch Management)
6. फाईल प्रबंधन (File Tracking System & e-File Management)
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)
8. राजकीय आवास प्रबंधन (Govt. Accommodation Management)
9. अन्य सॉफ्टवेयर मॉडूयलः– स्थानान्तरण एवं पदोन्नति प्रबंधन (Transfer & Promotion Admin), स्टोर प्रबंधन (Store Management), यात्रा प्रबंधन (Tour Management), कैबिनेट मेमो एवं बैठक प्रबंधन (Cabinet Memo & Meeting Management), टेलीफोन बिल पुर्नभुगतान (Telephone Bill Reimbursement), कार्मिक सूची प्रबंधन (Civil List Management) और आगन्तुक पास प्रबंधन (Visitor Pass Management)

वर्तमान में सॉफ्टवेयर में 70 प्रशासनिक विभागों के 385 संगठनों के 33,100 कार्यालयों तथा 3,20,400 अधिकारी/कर्मचारी राज–काज परियोजना से जोड़े जा चुके हैं।

- **राज ई-वॉल्ट**

राज ई–वॉल्ट के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा रही है। यह आधिकारिक दस्तावेजों (प्रमाणपत्रों) के साथ–साथ नागरिक के व्यक्तिगत दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्यवाही की आवश्यकता को कम करना और अपने प्रमाणपत्र/दस्तावेजों को नागरिकों तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करना है।

राज ई–वॉल्ट 20 से अधिक विभागों द्वारा नागरिकों को जारी किये गए प्रमाणपत्रों को संगृहीत करने के लिए सेवायें प्रदान कर रहा है। विभागों/संस्थानों द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्रों में जन्म प्रमाण पत्र से लेकर स्नातक प्रमाणपत्र तक के विभिन्न दस्तावेज और प्रमाणपत्र शामिल है। दस्तावेजों को डिजिटल रूप से eSign करने के लिए राज eSign और Aadhaar एप्लीकेशन के साथ राज ई–वॉल्ट को एकीकृत किया गया है।

राज ई–वॉल्ट द्वारा प्रदान की जा रही सेवायें निम्नलिखित हैं:–

1. विभागीय सेवाएं:
   - ➢ विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को जोडना।
   - ➢ विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को निकालना/पुनः प्राप्त करना(फेच/रिट्रीव)।
   - ➢ विभागीय दस्तावेजों/फाइलों को बदलना(रिप्लेस)।
2. नागरिक सेवाएं:–
   - ➢ नागरिक का अकाउंट बनाना।
   - ➢ नागरिक के दस्तावेजों/ सर्टिफिकेट को जोडना।
   - ➢ नागरिक के दस्तावेजों/सर्टिफिकेट को निकालना/पुनः प्राप्त करना(फेच/रिट्रीव)।
   - ➢ जन आधार पारिवारिक अकाउंट से जोडना।

- **राज एस.एस.ओ. (सिंगल साईन ऑन)**

राजस्थान सरकार की विभिन्न वेबसाईट्स एवं ऐप्लीकेशनों का उपयोग करने के लिए सिंगल साईन ऑन की एक यूजर नेम एवं पासवर्ड की सहायता से जो की सिंगल साइन ऑन (sso.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप अलग–अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी के द्वारा उपयोग की जा सकती है। SSO के माध्यम से राजस्थान सरकार के अधिकारीयों, कर्मचारीयों, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों को अब एक डिजिटल पहचान दी जा रही

है। जिसकी सहायता से अधिकारी, कर्मचारी, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिक विभिन्न विभागों की ऑनलाइन ऐप्लिकेशन का उपयोग कर रहे है। जिसके अंतर्गत लगभग 199 लाख SSO ID, 216 G2G एवं 144 G2B/G2C ऐप्लिकेशनस् उपलब्ध करवाई गयी हैं।

- **राज मेल**

राजस्थान सरकार द्वारा जनता के लिए हिंदी में ई–मेल आई.डी. की सुविधा प्रारम्भ की गयी जिससे जनता के लिए अंग्रेजी भाषा ई–मेल इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने में बाधा ना बने।

यह सेवा ई–शासन के प्रति लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेगी और अधिकतम स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। राजस्थान सरकार अपने निवासियों को हिंदी में ई–मेल आई.डी. की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है। इसके अंतर्गत लगभग 50 लाख ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करवाई गयी हैं ।

- **राजबॉट (Rajbot)**

राज्य सरकार के साथ नागरिकों के संवाद को बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की स्थापना हेतु इस परियोजना की परिकल्पना की गई है। राजबॉट एक आर्टिफीशिअल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमता) आधारित चैटबॉट है। नागरिक राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं जैसे कि रजिस्ट्रेशन, सामान्य सूचना FAQs एवं बुकिंग सेवाओंका उपयोग कर सकते हैं।

राजबॉट में हिंदी एवं अंग्रेजी में संचार करने की योग्यता एवं एक साथ कई यूजर्स द्वारा एक ही समय पर पूछे जाने वाले विभिन्न सवालों के जवाब देने की क्षमता है। राजबॉट अपनी इन्हीं क्षमताओं के कारण मानव प्रयासों को कम कर नागरिकों केविभिन्न निवेदनों को सक्षम तरीके से प्रबंधित करता है। यह प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में राजबॉट को राज्य सरकार के राजकौशल, जनसूचना, वन विभाग एवं राजस्थान संपर्क वेबसाइट एवं वॉट्सएप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया गया है।

- **रोबोटिक्स (Robotics)**

इलैक्ट्रोनिक माध्यम से संचालित रोबोट विभिन्न आवश्यक स्थानों पर मानव की तरह सहजता से प्रश्नों के उत्तर और मार्गदर्शन कर सकते हैं। रोबोटिक्स तकनीक के माध्यम से आमजन तक राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। ह्यूमनॉइट रोबोट आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस (ए.आई.) पर कार्य करता है तथा 19 देशी विदेशी भाषाओं को समझकर बात कर सकता है। यह रोबोट्स वॉईस इंटरेक्शन पर भी काम करते हैं।

- **आधार डेटा वॉल्ट**

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशानुसार आधार नम्बर व उससे संबंधित सूचनाएं सुरक्षित डेटा वॉल्ट बनाकर उसमें रखना अनिवार्य है। विभाग ने इसके लिए केन्द्रीकृत आधार डाटा वॉल्ट का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा सभी विभागीय डेटाबेस जहाँ आधार नम्बर विद्यमान है, उन सभी ऐप्लीकेशन्स में आधार डेटा वॉल्ट का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। वर्तमान मे आधार डेटा वॉल्ट मे 4.80 करोड से अधिक आधार एवं उससे संबंधित डेटा सुरक्षित रूप से संग्रहित है एवं इसकी संख्या लगातार बढती जा रही है।

- **राज सेवा द्वार (Raj Sewa Dawar)**

राजसेवा द्वार राजस्थान ई–गवर्नेंस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का हिस्सा है तथा सभी एप्लिकेशन कनेक्टिविटी के लिए एक केंद्रीकृत मिडलवेयर सर्विस बस है। राजसेवा द्वार डिजिटल सेवाओं की केन्द्रीकृत प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी डिजिटल एप्लिकेशन सेवाऐं एक दूसरे से साझा की जाती है।

राजसेवा द्वार का काम राजस्थान के सारे विभागों की सारी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध करवाना है जहां से सभी विभाग अन्य विभागों की सेवाओं का उपभोग कर सकते है। राजसेवा द्वार राजस्थान के लिए केन्द्रीकृत ए.पी.आई. स्टोर है जहां सभी सेवाएं सरकारी विभागों, बाहरी डेवलपर्स/एजेंसियों/संगठनों द्वारा इस ई.एस.बी. प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेब सेवाओं के रूप मे उपयोग के लिए उपलब्ध है। राजसेवा द्वार भाषा–बाधा मुक्त सेवा साझिकरण को सक्षम बनाता है। यह सभी सर्विसेज के लिए लॉग्स और आंकडे एक ही जगह पर उपलब्ध करवाता है।

अब तक कुल 30 से ज्यादा विभिन्न विभागों द्वारा राजसेवा द्वार पर कुल 1040 सर्विसेज के लिए आवेदन किया जा चुका है। राजसेवा द्वार पर अब तक कुल 312 करोड से अधिक ट्रांजेक्शन किये जा चुके हैं।

- **डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर**

सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिये अत्याधुनिक Big Data तकनीक से लैस Analytic System का विकास किया गया है। बिग डाटा एनालिटिक्स के अन्तर्गत विभिन्न विभागों एवं परियोजनाओं के व्यवस्थित/अव्यवस्थित डेटा (दृश्य, डाक, प्रतिबिम्ब इत्यादि) को एकत्र कर रखा जाता है। एवं इसी डाटा को विश्लेषण एवं ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोग किया जाता है। राजस्व सृजन विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान विभाग में Fraud Detection Framework लागू कर दिया गया है। इससे कर अपवंचन की

पहचान करने में एवं कराधार बढ़ाकर राजस्व सृजन में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त इसे अन्य विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासनिक सुधार, मुख्य मंत्री कार्यालय, वन विभाग इत्यादि एवं परियोजनाओं यथा राजसम्पर्क ई–मित्र में भी लागू किया गया है जिससे डाटा संचालित नीति निर्माण एवं साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

6. मानव संसाधन विकास

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण**

  मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अतिआवश्यक है। इसके लिये विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाता है।

- **इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय**

  सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।

- **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन**

  शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुर्नभरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। साथ ही नागरिकों को भी 'RSCIT' पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र दिया जाता है। इसके माध्यम से लगभग 6305 ITGK खोले गये हैं जिनमें लगभग 55 लाख प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया है। (कोविड–19 के कारण) जनवरी 2020 से लगभग 27 नए ज्ञान केन्द्र खोले गये है तथा लगभग 2.65 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

7. अन्य विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी सहायता

- **वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी-पॉचिंग सिस्टम (WS&APS)**

  वाइल्डलाइफ सर्विलांस एंड एंटी–पॉचिंग सिस्टम (WS&APS) की अवधारणा और वास्तुशिल्प डिजाइन रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जवाईबाग

तेंदुआ संरक्षण रिजर्व, और झालाना नेचर पार्क जैसे वन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित निगरानी समाधान है जो उच्च अंत थर्मल/ऑप्टिकल कैमरे, पॉइंट टू वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि से लैस है।

- **आई.टी. इनेबलमेन्ट ऑफ सिलिकोसिस पेशेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड डिसबर्समेन्ट सिस्टम**

सिलिकोसिस मरीजों को सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति के अन्तर्गत जारी किये जाने वाला आर्थिक लाभ पारदर्शी एवं सीधा नगद हस्तान्तरण प्रदान करने के उद्देश्य से इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। इसका उपयोग करते हुये चिकित्सा विभाग, खान विभाग तथा श्रम विभाग सुगमता से सिलिकोसिस प्रकरणों की मेडिकल जाँच, दस्तावेजों का सत्यापन, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र तथा आर्थिक अनुदान जारी करते हैं। जनआधार का उपयोग करते हुये लाभार्थीयों का पंजीकरण, पहचान एवं अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाता हैं। लगभग 9815 सिलिकोसिस पीड़ितों को सिलिकोसिस सहायता प्रदान की जा चुकी हैं।

- **ई-बाजार**

राजस्थान सरकार की नीति के अनुसरण में ऑनलाइन विपणन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा प्रशासनिक एव नागरिक कल्याण हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से एक एकल ई–व्यापार ऑनलाईन स्टोर विकसित किया गया है।

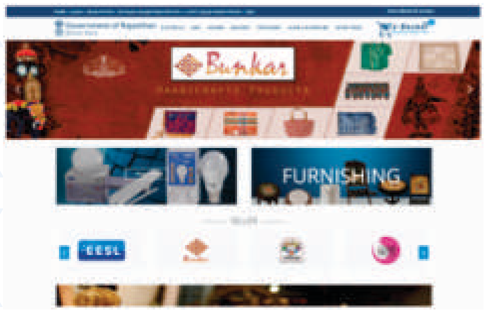

इसका मुख्य उद्देश्य नागरिको एवं हितकारकों के हित में राजस्थान सरकार द्वारा ई–कॉमर्स के माध्यम से विभिन्न उत्पादो को एक ही जगह उपलब्ध करवाना।

URL http://ebazaar.rajasthan.gov.in

वर्तमान में ई–बाजार पर निम्नांकित विक्रेताओं के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध करवाये जा रहे हैं :–

- Energy Efficiency Services Limited
- GramyaKhadi Handicraft Emporium
- MMTC Limited
- Rajasthali Handicraft Emporium
- Rajasthan Rajya Sahakari Uta Sangh Confed
- Rajasthan Rajya Bunkar Sahakari Sangh Ltd.
- Ajmer Sahakari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd.
- Sri Ganganagar Sahkari Upbhokta Wholesale Bhandar Ltd.
- Village Forest Management Committee, Udaipur
- Department of IT&C – UIDAI Project
- Frontier Markets Pvt. Ltd.

- Jaipur Printers Pvt. Ltd.
- Reliance Retail Limited
- Alankit Limited
- AkshOptifibre Ltd.

Start-ups (M/s Amogue, M/s HexpressionsMegatech Private Limited, M/s Kocheta Innovations, M/s Aarnati Innovation (Zepcross), M/s Manpower Staffing & Compliance Management, M/s Spandan Weavers, M/s Swag-I-Noor)

वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली (FMDSS)

- FMDSS को एक एकल एकीकृत वेब आधारित प्रबंधन और निगरानी प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है,विभाग की सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए एकल एकीकृत प्रणाली, नागरिक वन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- वृक्षारोपण निगरानी एप की मदद से वन भूमि का संरक्षण किया जा किया जा रहा है।
- वन क्षेत्र के विकास के लिए डिजिटल आईटी क्षेत्र परोक्ष रूप से वन क्षेत्र में सुधार कर रहा है।
- वन क्षेत्र में अपराध और अतिक्रमण को कम करने के लिए वन संरक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।
- इस एप्लीकेशन का उपयोग करके, नागरिक राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण, चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान के लिए टिकट बुक कर सकते हैं।
- इस एप्लीकेशन के द्वारा खनन, केबल लाइन, स्कूल, अस्पताल आदि की एनओसी के लिये नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
- यह एप्लीकेशन वन विभाग की निकट नर्सरी, पौधे की जानकारी प्रदान करता है।
- यह एप्लीकेशन बांस, लकड़ी,आदि की नीलामी के लिए जानकारी प्रदान करता है।
- नागरिक द्वारा पशु बचाव सूचना पंजीकरण ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है।

मुख्यालय, मंडल कार्यालय ,रेंज कार्यालय और वनस्थल के भीतर त्वरित सेवा विनिमय और सूचना एकल एकीकृत एप्लीकेशन प्रदान करता है।

आरटीआई पोर्टल

"आरटीआई पोर्टल", सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनिवार्य जानकारी और सेवाओं के लिए एकल बिंदु पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस पोर्टल द्वारा विभागीय उपयोगकर्ता आवेदन और अपीलों का संधारण कर सकते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य राजस्थान सरकार के कार्यालयों और नागरिकों के बीच सूचना के प्रसार के लिए एक सेतु के रूप में काम करना है।

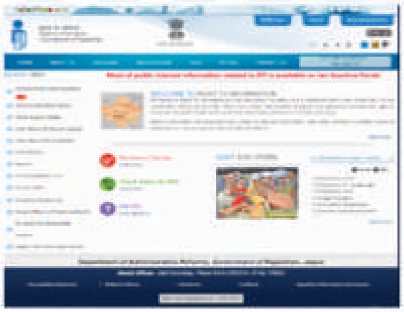

URL : http://rti.rajasthan.gov.in

- **एसआईएमएस पोर्टल (SIMS: Sales and Inventory Management System)**

सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम (SIMS), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया हुआ एक सॉफ्टवेयर–आधारित व्यावसायिक समाधान है। जिसका उपयोग बिक्री गतिविधि और इन्वेंट्री को एक साथ संधारित व ट्रेक करने के लिए किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर निर्माता और व्यापार पुनर्विक्रेता को एक साथ लाभान्वित करने हेतु बनाया गया है।

प्रोजेक्ट के उद्देश्य :–

➢ SIMS को ई–बाजार प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसके विक्रेता साझेदारो व अन्य सरकारी विभागों को व्यवसायिक समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था।

➢ प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसी स्टोर/विभाग के लिए एक ऑनलाईन सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध करवाना है।

प्रमुख विशेषताएं :–

➢ SIMS एक साधारण व आसानी से उपयोग में लेने लायक सेल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है।

➢ इसका उपयोग इन्वेंट्री के विवरणों को संगृहीत करने, बिक्री विवरणों के आधार पर इन्वेंट्री को अपडेट करने, बिक्री के लिए रसीदें तैयार करने और समय–समय बिक्री और इन्वेंट्री संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

➢ यह अपने उपयोगकर्ताओं को आसान GUI उपलब्ध करवाता है।

➢ SIMS एक केंद्रीकृत डेटाबेस संचालित प्रणाली है, जो वास्तविक समय पर उत्पादन, खरीद, बिक्री एवं इन्वेंटरी संबंधी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। जिससे प्रबंधन स्तर पर निर्णय लेना आसान हो जाता है।

➢ SIMS को डायनामिक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम के सिद्धांत पर विकसित किया गया है।

➢ बेहतर सुरक्षा एंव विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु इसमे बायोमेट्रिक लॉग–इन व ई–साईन की व्यवस्था की गई है।

- **अभय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर**

जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों सहितसभी 33 जिलों में अभय कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न घटक सम्मिलित हैं:–

- ➢ वीडियो निगरानी तंत्र
- ➢ डायल 100 नियंत्रण तंत्र
- ➢ फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली
- ➢ कुशल यातायात प्रबन्धन तंत्र
- ➢ वाहन ट्रेकिंग तंत्र
- ➢ भौगोलिक सूचना तंत्र

• एकीकृत भर्ती पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)

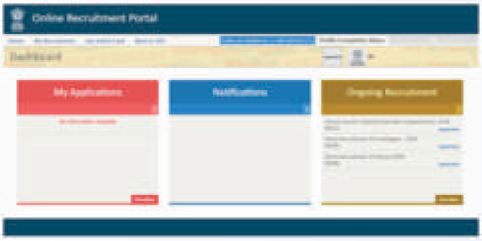

राजस्थान एकीकृत भर्ती पोर्टल के माध्यम से, राजस्थान, भारत या विदेश से सभी उम्मीदवार ऑनलाईन/ई–मित्र कियोस्क के द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस पोर्टल के माध्यम से सभी विभाग अपने स्तर पर भर्तियों को प्रकाशित कर सकते हैं तथा भरे गये एप्लीकेशन फॉर्म एवं भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के आंकडे अपने Login में देख सकते हैं।

• रास परियोजना (Rajasthan Accountability & Assurance System (RAAS))

राजस्थान सरकार ने राजस्थान में सुशासन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान अकाउंटेबिलिटी एश्योरेंस प्रणाली (RAAS) परियोजना लागू की गई है। इसके माध्यम से आपातकालीन सेवाओं के सुचारू संचालन और प्रबंधन हेतु तथा सरकारी वाहनों और सरकारी उपयोग में आने वाले समस्त वाहनों के उपयोग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से GPS tracking का कार्य किया जा रहा है।

RAAS परियोजना के अंतर्गत सरकारी वाहनों में GPS उपकरणों की स्थापना कर, RAAS application के माध्यम से वाहन की वर्तमान लोकेशन, यात्रा–विवरण, ऑन–ऑफ की स्थिति इत्यादि अन्य कई जानकारी की रिपोर्ट उपलब्ध होती है। वर्तमान में पुलिस, अग्निशमन, अन्नपूर्णा, वन विभाग, परिवहन विभाग के वाहनों में इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।

• ई-टेन्डर (e-Procurement)

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक खरीद में निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2011 से भारत सरकार की मिशन मोड परियोजना ई–प्रोक्योरमेंट (Government eProcurement solution - GePNIC) प्रारम्भ की गई थी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 1 सितम्बर, 2016 से सभी सरकारी विभागों एवं अर्द्ध सरकारी विभागों के

लिए Goods and services हेतु 10 लाख रूपये तथा Works हेतु 5 लाख रूपये की निविदाएं अनिवार्य रूप से ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से करनी निर्धारित की गई थी।

यह प्रोजेक्ट 2011 से अब तक सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। अब तक 243 विभागों की 630778 करोड़ रूपये राशि के 350190 टेण्डर इस प्रणाली के माध्यम से जारी हो चुके हैं। ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अब तक 1335727 बिड्स प्राप्त हो चुकी हैं।

- **एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (IHMS)**

इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेज्मेन्ट सिस्टम (iHMS) को वर्ष 2017–18 की मुख्य मंत्री बजट घोषणा के अनुपालन में प्रारंभ किया गया। यह एक नागरिक केंद्रित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली है। जिसके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बेहतर तरीके से प्राप्त हो सकें।

- ➢ सफलतापूर्वक विकसित कर 650+ स्वास्थ्य सुविधाओं में कॉन्फ़िगर किया गया/ कार्यान्वित किया गया जिसमे मेडिकल कॉलेज अस्पताल/जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
- ➢ अब तक इस प्रणाली के माध्यम से 425 लाख रोगियों को पंजीकृत किया गया है और 44.39 लाख इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड्स (ई.एच.आर.) जेनेरेट किए गए हैं।
- ➢ परियोजना के अग्रिम कार्यान्वयन और निगरानी सितंबर, 2020 से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है।

- **राजधरा-एकीकृत भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.)**

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा एकीकृत जी. आई.एस. आधारित सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम पर विभिन्न विभागों/ उपक्रमों के लिए सूचना एवं विश्लेषण हेतु जी.आई.एस. आधारित वेब व मोबाईल एप्लीकेशन्स को विकसित कर स्थापित कर ऐक्सेस

सम्बंधित विभागों को दिया गया है ताकि वे इनके द्वारा अपने विभाग की सभी परिसम्पत्तियां व उनमें उपलब्ध सुविधाओं का भू–स्थानिक डाटा जोड़ सकें और उपलब्ध डाटा का संधारण/उन्नयन कर सके। यह डाटा GIS आधारित इंटरफ़ेस पर दर्शाया जाता है जिससे प्रत्येक क्षेत्र में विभागों के assets व उनमें उपलब्ध सुविधाओं का विभागीय/अंतर–विभागीय विश्लेषण किया जा सके।

विभिन्न विभागों/उपक्रमों की परिसंपत्तियों के भू चिन्हीकरण, विभागीय योजनाओं एवं कार्यों के भू–चिन्हित सर्वेक्षण तथा क्षेत्रीय स्तर पर दी जाने वाली सर्विस डिलीवरी के निरीक्षण के लिए GIS आधारित मोबाइल ऐप विकसित की गई है जो कि फील्ड कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण व सुविधाजनक साबित हुई हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिविल कार्य परियोजनाओं की योजना बनाने, प्रगति की निगरानी व प्रबंधन के लिए GIS आधारित Workflow Management System (GWMS) विकसित किया गया है। इस सिस्टम द्वारा ऑनलाइन कार्य योजना, BSR व non-BSR आधारित तकमीना (Estimates), Schedule of Power पर आधारित अनुमोदन, e-sign से प्रशासनिक, वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति व कार्यादेश जारी करना, भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों milestones के आधार पर कार्य की विस्तृत योजना बनाना इत्यादि कार्य किये जा सकते हैं। साथ ही डैशबोर्ड पर कार्य की प्रगति का सभी स्तरों पर प्रबोधन किया जा सकता है। कार्य की प्रगति की GIS आधारित निगरानी करने के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित की गयी है। जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की सिविल कार्य परियोजनाओं के लिये संशोधित ऐप्लिकेशन के विकास का कार्य प्रगति पर है।

सम्पूर्ण राज्य के लिये सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त कर उसको भू संदर्भित किया जा कर विभिन्न विभागों के लिये इमेजरी बेसमैप के रूप में स्थापित किया जा चुका है। इस इमेजरी बेसमैप को आधार मानते हुए महत्वपूर्ण भू–संरचनाओं यथा सडक व रेल मार्ग़, जल–संरचनाएं इत्यादि का GIS प्लेटफॉर्म पर अंकन (digitization) कर सभी विभागों के उपयोग के लिये मैप–सर्विस के रूप में स्थापित किया जा चुका है।

- **राजमेघ**

राजमेघ के माध्यम से राज्य सरकार स्टार्टअप, पीएसयू, निगमों और अन्य राज्य को क्लाउड सेवाएं प्रदान की जायेगी। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत नेटवर्किंग, एप्लिकेशन, स्टोरेज, कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट और प्लेटफ़ॉर्म के साथ–साथ व्यावसायिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

राजमेघ प्रोग्राम के द्वारा सरकार आई.टी. अवसंरचना जैसे कि स्टोरेज नेटवर्किंग के साथ–साथ Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS) व Data-as-a-Service (DaaS) उपलब्ध करवायी जायेगी। राजमेघ के माध्यम

से राज्य में व्यवसायों की उत्पादकता, विशेष रूप से स्टार्टअप और ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने के प्रयास में, राजस्थान सरकार ने अपनी क्लाउड सेवाओं को राजमेघ के रूप में जोड़ा गया है।

- **ई-राजस्व न्यायालय (e-Revenue Courts Portal)**

  इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के निवासियों को कृषि भूमि से संबंधित, सभी नामांतरण (दाखिल / ख़ारिज), जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित, बटवारा, विवादित मामलों की सुनवाई एवं न्याय हेतु राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिसके द्वारा वादी, प्रतिवादी एवं अधिवक्ता द्वारा वाद को इन्द्राज / रिकार्ड करना एवं उसकी प्रगति का पता करना, नोटिस जारी करना एवं पावती तक कार्यवाही को रिकार्ड करना आदि सूचनायें भी उपलब्ध करवायी जा रही है।

- **राजसहकार परियोजना**

  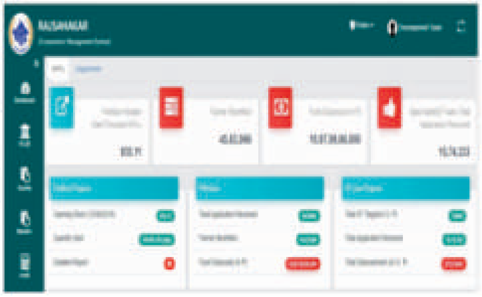

  राजसहकार परियोजना का उद्देश्य सहकारिता विभाग की आंतरिक दक्षता में सुधार और इसकी प्रक्रियाओं को सहकारी समितियों के पंजीकरण, निगरानी, लेखा परीक्षा, निरीक्षण, चुनाव और सहकारी समिति और शिकायत प्रबंधन जैसे विभिन्न गतिविधियों में आईटी का प्रभावी उपयोग करना है।

  3 अलग–अलग अधिनियमों, लेखा परीक्षा प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, प्रशिक्षण आदि के तहत सोसाइटीज़ के पंजीकरण के प्रावधानों के साथ ऐप्लीकेशन को रोल आउट किया गया है। विभिन्न इकाइयों / योजनाओं के केंद्रीकृत डैशबोर्ड को भी रोल आउट किया गया है।

  KPI को विभिन्न इकाइयों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप्लीकेशन को कार्यात्मकताओं के साथ होस्ट किया गया है। नागरिक मोबाइल ऐप्लीकेशन / वेब साइट के माध्यम से आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

  वर्तमान स्थिति

कुल ईडब्ल्यूआर	26492
अधिनियम 2001 के तहत कुल सोसायटी पंजीकरण	1726
अधिनियम 1958 के तहत कुल सोसायटी पंजीकरण	23738
पुरानी सोसाइटीज	161383
कुल मैप की गयी	17067
कुल लेखा परीक्षक नियुक्त	17866
कुल सीसीएस शिकायत	75181

- **राजनीर परियोजना**

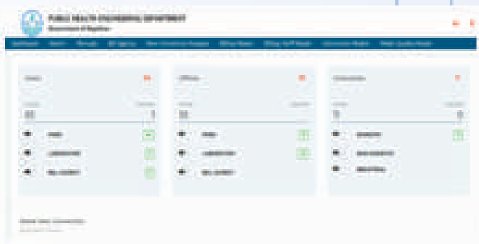

राजनीर परियोजना को पी.एच.ई.डी. विभाग की आंतरिक दक्षता में सुधार करना और इसके राजस्व प्रबंधन प्रक्रियाओं की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि मीटरिंग, बिलिंग, संग्रह और अन्य नागरिक सेवाओं में आईटी का प्रभावी उपयोग करना है। यह पूरे सिस्टम को स्वचालित करने और विश्लेषणात्मक उपकरणों और वेब पोर्टल (आंतरिक और बाहरी इंटरफेस) और मोबाइल ऐप्लीकेशन के विकास के साथ एक आईटी समाधान को लागू करने की परिकल्पना को क्रियान्वित किया गया है।

- **एकीकृत ई-पंचायत सॉफ्टवेयर**

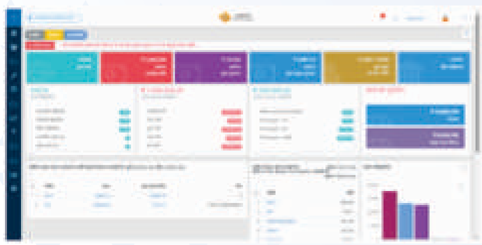

एकीकृत ई–पंचायत सॉफ्टवेयर सरकारी कार्यालयों का दौरा किए बिना, वांछित जानकारी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस परियोजना का उद्देश्य से पंचायती राज संस्थानों की स्वायत्ता, पारदर्शिता व जवावदेही में सुधार लाना एवं सम्पूर्ण खाता प्रबंधन, कार्य प्रबंधन कार्यों व स्कीमों में ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। इस ऐप्लीकेशन के माध्यम से नागरिक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के निष्पादन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (SBM) लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि का ऑनलाइन भुगतान इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है।

वर्तमान स्थिति

आरपीपी पर पंजीकृत कुल खाता	11669 (ZP – 96, PS – 406, GP - 11162)
ऑनलाइन लेनदेन करने वाले कुल जी.पी.	8990
कुल पंचायत भुगतान (निर्माण / अन्य)	3302.66 करोड़
कुल एसबीएम भुगतान	3016.83 करोड़

- **राज ई. आर. पी.**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों को ऑनलाइन करने हेतु Standard Customizable व Configurable Package (HR, MM, PM, AFM etc. मोड्यूल्स) विकसित किया गया है

परियोजना के लाभ :

- विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों कि कार्य प्रणाली में एकरूपता लाना
- COT'S Products (SAP, Oracle ERP इत्यादि) पर निर्भरता हटाना
- किफायती समाधान
- आवश्यकता अनुसार बिना लागत के परिवर्तन संभव

वर्तमान स्थिति

4 उपक्रमों–RISL, Metro Rail, RSIL, RSMM, RFC, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा तथा 5 विद्युत् निगम व उर्जा कंपनियों में क्रियान्वयन JVVNL, AVVNL, JDVVNL, RVPNL, RVUNL में क्रियान्वयन।

- **लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम**

श्रम विभाग राजस्थान सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। विभाग का मुख्य दायित्व श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और समाज के गरीब, वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है। नागरिकों के इस बड़े समूह को पूरा करने के लिए आईटी आधारित समाधान का उपयोग आवश्यक है। एलडीएमएस परियोजना को नागरिकों के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग और विभागीय अधिकारियों को विभाग के समग्र कामकाज में पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए सेवा वितरण तंत्र को स्वचालित करने के उद्देश्य से क्रियन्वित किया गया है।

- **राजफेब (RajFab)**

विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वेब एप्लिकेशन "राजफेब" (URL: rajfab.rajasthan.gov.in पर होस्ट किया गया है) को विकसित किया गया है और इनका उपयोग विभागीय गतिविधियों को कम समय में, पारदर्शी, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है।

- **स्टेट इंश्योरेंस एवं प्रोविडेंट फण्ड पोर्टल (SIPF)**

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन वर्कफ़्लो आधारित एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं:

- राज्य बीमा
- भविष्य निधि
- राष्ट्रीय पेंशन योजना
- मेडिक्लेम
- एक मुश्त भुगतान सुविधा (Bulk Payment Order)

वर्तमान स्थिति

रजिस्टर्ड कर्मचारी	860273
सेवानिवृत्त जीपीएफ खाता कर्मचारी	4340
लाइव स्कीम	4
लाइव एप्लिकेशन्स	12
भुगतान किए गए (सभी योजनाएं)	Rs. 25944.80 Cr.

- **लाईट्स-न्याय विभाग (Litigation Information Tracking & EvaluationSystem)**

  यह सभी अदालतों में लंबित न्यायिक प्रकरणों की प्रभावी पैरवी व पर्यवेक्षण हेतु, न्यायिक प्रकरणों के प्रबंधन में सुधार के लिए, प्रशासनिक विभागों की सहायता करने एवं न्यायिक प्रकरणों के मामलों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने के लिए विकसित किया गया है।

- **राज ई-ज्ञान (Raj-e-Gyan)**

  राज–eGyan शिक्षकों और छात्रों के लिए एक ऑनलाइन ई–लर्निंग पोर्टल है। इसमें प्री–प्राइमरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शैक्षिक डिजिटल सामग्री है। डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम बनाने के प्रयासों में यह पहला कदम है। डिजिटल इंडिया की अवधारणा को सार्थक करते हुए, विद्यालयों में अधिगम स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं विद्यार्थियों को ई–कंटेट के रूप में टेक्स्ट, पॉवर पाइंट, एनिमेशन, ऑडियो–विडियो, ई–पुस्तक आदि प्रारूपों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

  इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, राजस्थान के छात्रों को डिजिटल सामग्री के लिए आसान, सर्वव्यापी, अद्यतन और व्यापक भंडार प्रदान करना है।

  URL: http://egyan.rajasthan.gov.in

- **एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल**

  उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल एकीकृत आई टी प्लेटफार्म है, जो ई–शिक्षा तथा राज्य के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों से संबंधित समस्त शैक्षिक प्रकियाओं की मॉनिट्रिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकसित किया जा रहा है। पोर्टल के तहत राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्व महाविद्यालयों की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। राज्य सरकार के तकनीकी एवं गैर–तकनीकी सहित सभी संकायों के छात्रों का एकीकृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

- **लर्निंग मेनेजमेण्ट सिस्टम (Raj-LMS)**

  Raj-LMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के लिए Bi-Lingual (हिन्दी एवं अंग्रेजी) ऑनलाईन ट्रेनिंग एवं कौशल उन्नयन पोर्टल है। पोर्टल पर शिक्षण सामग्री, ऑनलाईन एवं क्लास रूम ट्रेनिंग, कर्मचारियों/विद्यार्थी/नागरिको के लिए ऑनलाईन मूल्यांकन की व्यवस्था है, साथ ही पोर्टल पर प्रशिक्षु की प्रोग्रेस ट्रेकिंग, कौशल दक्षता विश्लेषण एवं ट्रेनिंग के लिए अनुशंषा की सुविधा उपलब्ध है।विभाग एप्लीकेशन और सामग्री निर्माण उपकरण का उपयोग करके अपनी सामग्री बना सकते हैं। URL : https://rajlms.rajasthan.gov.in

- **स्मार्ट क्लास रूम, शिक्षा विभाग (कॉलेज एवं स्कूल शिक्षा)**

  राजस्थान शिक्षा क्षेत्र मे डिजिटल और आधुनिकतम टेक्नोलोजी के समावेश को बढ़ावा देने मे पूरे देश मे रोल मॉडल है ।

  स्मार्ट क्लास रूम वर्चुअल (आभासी) हाईटेक ऑडियो विजुअल क्लासरूम हैं, जिसमें अध्यापक/विषय विशेषज्ञ दूर स्थित क्लासरूम में बैठकर विषय संबंधी लेक्चर दे सकता है तथा छात्र उस विषय विशेषज्ञ को सुनने और देखने के साथ ही लाइव क्लास रूम की तरह सवालों के जवाब प्राप्त कर सकता है।

  स्मार्ट क्लास रूम के द्वारा शिक्षकों की कमी से जूझ रहे महाविद्यालय/विद्यालयों के विद्यार्थियों को लाभ मिल सकेगा।

- **राजस्थान जन-आधार योजना का तकनीकी प्रबन्धन**

  विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उददेश्य से एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा बजट भाषण 2018–19 में राजस्थान जन–आधार योजना लाए जाने की घोषणा की गई थी। आयोजना विभाग की इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजना विभाग द्वारा राजकॉम्प को राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। जन–आधार योजना के तहत जन–आधार रेजिडेन्टस् (JRDR) का सफल प्रबन्धन जिसमें राज्य के 1.78 करोड निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया गया है एवं राज्य के एकीकृत पारिवारिक डेटाबेस (JRDR) के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभो एवं सेवाओं की प्रदायगी में समस्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तन्त्र का संचालन किया जायेगा।

- **3D स्कैनिंग, मॉडलिंग एवं जयपुर 3D सिटी परियोजना**

  राज्य के चयनित स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये 3डी मॉडलिग (3D Modeling) का कार्य किया गया है, जिसके अन्तर्गत हवामहल, अल्बेट हाल, जयपुर सिटी पैलेस, उदयपुर सिटी पैलेस, आमेर व कुम्बलगढ़ किलों के लिए LIDAR Scanning एवं 3D Modeling की जा चुकी हैं।

बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के अनुसार जयपुर में आपदा प्रबंधन सहित अनेक उपयोगों के लिए जयपुर शहर के जीआईएस आधारित 3D मॉडल बनाने की घोषणा की गयी थी जिसकी अनुपालना में इस परियोजना की क्रियान्विति की जा रही है। डेटा सेंटर में 3D City प्लेट्फॉर्म की स्थापना की जा चुकी है। इस परियोजना के अंतर्गत Arial Data Collection एवं DGPS Survey inspection का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 10,000 किमी लम्बाई के सड़क मार्ग का Mobile van द्वारा LiDAR scanning के data collection के कार्य के बाद डाटा प्रोसेसिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जयपुर के 3,000 sq km Arial Data Collection के उपरांत data प्रोसेसिंग और 3D Modeling का कार्य प्रगति पर है।

- **राजस्थान ई-आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम (ReAMS)**

ReAMS राजस्थान सरकार के समस्त विभागों के डिजिटाईज दस्तावेजों को संग्रहित कर सरकारी विभागों तथा प्रदेश की जनता को डिजिटाईज दस्तावेजों को सुलभ ऑनलाईन उपलब्ध कराने वाला पोर्टल है। इस पोर्टल से राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से संबधित असाधारण गजट का 1 अप्रैल 2019 से ऑनलाईन प्रकाशन किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 15 लाख डिजिटाईज दस्तावेजों का संग्रहण तथा 2300 असाधारण गजट का ऑनलाईन प्रकाशन किया जा चुका है।

- **आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS)**

आपदा से पूर्व, दौरान एवं इसके पश्चात् विभिन्न स्तर पर सुविधायें प्रदान करने, जानकारी को प्रस्तारित और अद्यतन करने के लिये आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (डी.एम.आई.एस) विकसित की गयी है। इस प्रणाली द्वारा किसानों एवं नागरिकों के खातो में सीधा नगद हस्तान्तरण करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही परियोजना में भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के माध्यम से आपातकाल स्थिति में सहायतार्थ टीम गठन में सुगमता रहती है। विभिन्न प्रकार के सहायतार्थ संस्थानों के पंजीकरण की सुविधा भी सॉफ्टवेयर के मोबाईल एप पर उपलब्ध है। परियोजना के माध्यक से 34 लाख किसानों को विभिन्न आपदाओं में लगभग 23 अरब राशि सहायतार्थ दी जा चुकी है।

- **राजकिसान साथी**

किसानों को कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ त्वरित व पारदर्शी तरीके से प्रदान करने के लिए एक इन्टीग्रेटेड पोर्टल ''राज किसान साथी'' विकसित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को उनसे संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी व लाभ प्राप्त करने के लिए भिन्न–भिन्न पोर्टल का प्रयोग कर आवेदन प्रस्तुत करने के स्थान पर सिंगल विन्डो के रूप में केवल एक ही पोर्टल के माध्यम से समस्त सुविधाएं उपलब्ध

करवाने का प्रावधान है। एस.एस.ओ. आई.डी के माध्यम से जनाधार आई.डी. का प्रयोग करते हुए एक बार तैयार किए गए प्रोफाइल के माध्यम से कृषकों द्वारा विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं के लिए आवेदन किया जाना संभव होगा। उन्हें बार–बार अपने आधारभूत दस्तावेजों को अपलोड करने से मुक्ति मिल जाएगी। आवेदकों के ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल पर कृषि सम्बन्धित विभागों के 11000 से अधिक कार्मिकों का पंजीकरण हो चुका है। परियोजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सब्सिडी के लगभग 45000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

- **सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम (CHMS)**

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे सभी विश्राम भवनों का सम्पूर्ण प्रबन्धन (कमरा बुकिंग, खाने का ऑर्डर, भुगतान इत्यादि) इस ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अधिक सुगमता से किये जाते हैं। इसके माध्यम से किसी भी सेवा के आवेदन, उपभोग, बिल भुगतान की जानकारी आवदेक के मोबाईल पर जरिये एस.एम.एस. यथा समय दे दी जाती हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं गैर सरकारी व्यक्ति आवेदन कर सेवाओं का उपभोग कर सकते हैं। सर्किट हाऊस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा भी सुगमता सें सभी विश्राम भवनों की निगरानी एवं लेखा जोखा की जानकारी प्राप्त करते हैं।

- **आई एम सर्वर**

महालेखाकार कार्यालय के द्वारा राज्य सरकार के व्ययों एवं प्राप्तियों का मासिक एवं वार्षिक लेखे बनाये जाते हैं। इस हेतु राज्य के व्यय एवं प्राप्तियों आदि की वित्तीय जानकारी महालेखाकार कार्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। महालेखाकार कार्यालय (ए जी ऑफिस) की आवश्यकता के अनुसार आई एम सर्वर को विभिन्न ऐप्लीकेशन के मध्य डाटा आदान प्रदान के लिए बनाया गया। कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखा (वाऊचर्स, चालान, वी.डी. एम.एस., लेखा सूचियाँ, फॉर्म्स ऑफ एकाउंट्स आदि) अब ऑनलाइन आई एम सर्वर के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। लेखा मिलान (Online reconciliation) का कार्य भी आई एम सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है।महालेखाकार कार्यालय को ऑनलाइन फिजिकल डाक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखा प्रस्तुतिकरण अब ऑनलाइन आई एम सर्वर के माध्यम से प्रारम्भ होने से इसकी भौतिक प्रक्रिया में नियोजित होने वाला समय, स्टेशनरी व्यय, यात्रा भत्ता व्यय एवं मानवीय श्रम की बचत होगी।

- **Government Schemes Evaluation Management System**

मूल्यांकन, योजना प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग है जिसके द्वारा राज्य में क्रियान्वित विकासीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता एवं असफलता का आंकलन कर उनको और अधिक

प्रभावी बनाने एवं सुधार हेतु आवश्यक उपाय सुझाये जाते है। राजस्थान राज्य में उक्त कार्य निदेशालय मूल्यांकन संगठन द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

राज्य की विकासीय योजनाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत मूल्यांकन अध्ययन सम्पादित करने हेतु दिनांक 21.03.2018 से GEMS (Government Schemes Evaluation Management System) पोर्टल संचालित है।

जेम्स एक वेब आधारित ऑनलाईन पोर्टल है। इस पर कार्य करने हेतु अधिकारियों/कार्मिकों को SSO ID के माध्यम से पंजीकृत कर मेपिंग की जाती है। इसके माध्यम से मूल्यांकन हेतु अध्ययन विषय/योजनाओं का आवंटन/अनुमोदन, बहुचयनात्मक आधार (Multiple Choice Questions) पर विभिन्न प्रकार की अनुसूचियों (Schedules) का निर्माण, क्षेत्र कार्य आवंटन (Field work allotment), अनुसूचियों का मॉक टेस्ट (Mock test), वास्तविक क्षेत्र कार्य करना (Actual field work) तथा क्षेत्र कार्य के दौरान प्राप्त तथ्यों की कम्पाईलेशन रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। इससे विभाग के समय एवं धन की बचत संभव हुई है।

जेम्स पोर्टल के प्रारम्भ होने से दिसम्बर, 2020 तक लगभग 52 योजनाओं/विषयों का मूल्यांकन इसके माध्यम से किया जा चुका है। मूल्यांकन विभाग द्वारा सम्पादित की गई मूल्यांकन रिपोर्ट्स विभागीय वेबसाईट https://plan.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

- **सोशल मीडिया**

राजस्थान के नागरिकों के साथ अत्यधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से त्वरित और सीधा संवाद करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट एक लोकप्रिय परियोजना बनाई गई है। यह प्लेटफॉर्म जनता के साथ सरल और शक्तिशाली संपर्क बनाने के साथ नेटवर्किंग और जुड़ाव बनाए रखने में भी मदद करता है।

कार्यक्षेत्रः—

➢ नागरिकों के लिए व्यापक डिजिटल आउटरीच रणनीति का निर्माण।

➢ नये ब्लॉग, वेबसाइट, ऑर्टिकल के माध्यम से आमजन को सूचना का आदान—प्रदान।

➢ मास मीडिया नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निगरानी और मीडिया ट्रैकिंग करना।

➢ व्यावसायिक सूचनात्मक वीडियो का निर्माण।

- विभिन्न सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव विडियो ब्रॉडकास्टिंग।
- कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता आमजन के बीच फैलाने के लिए कई तरह के विडियो का निर्माण।
- साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से डेटा की सुरक्षा।

वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न हेन्डल्स (GoR, CMO, DoIT&C, RajSampark, eMitra, iStart) पर निरंतर मीडिया सामग्री का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है और फोलॉअर्स की संख्या में लगातार वृद्वि हो रही है।

इन प्लेटफॉर्म में विभिन्न सूचनात्मक इमेज, विडियो, स्टोरिज पोस्ट की जाती हैं, जो रिट्वीट एवं रिशेयर भी की जाती हैं। प्रदेश के लोगों को कोविड–19 के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न केम्पेन भी संचालित हैं जैसे– #Rajasthan_Satark_Hai, Rajasthan_is_Vigilant, अगस्तक्रांतिसप्ताह, सबकी–जिम्मेदारी आदि।

- **चीफ मिनिस्टर इन्फोर्मेशन सिस्टम (सीएमआईएस)**

CMIS राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए एक वेब–आधारित अनुप्रयोग है। सीएमआईएस पोर्टल राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं/योजनाओं की क्रियान्विति एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं और प्रमुख परियोजनाओं के सभी निर्णयों/दिशा–निर्देशों की समग्र प्रगति/स्थिति की ऑनलाइन निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

CMIS के मॉड्युल निम्नानुसार है :–

फाइल ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम	ग्रिवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम
रिक्रूटमेंट स्टेटस	वीआईपी लेटर मॉनिटरिंग प्रणाली
बजट घोषणा	न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम
सीएम घोषणा	इश्यू (पीआर) मॉनिटरिंग
जन घोषणा पत्र	केबिनेट निर्णय
सीएम दिशा–निर्देश	प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम
एक्शन प्लान 100 डेज	अवार्ड एवं प्रशंसा
महत्वपूर्ण जिले	न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम
सीएम वीसी	

- **जनकल्याण पोर्टल**

जनकल्याण पोर्टल राजस्थान सरकार की एक पहल है, जो सरकार में सुशासन और पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी सरकारी सूचनाओं को एक ही मंच पर लाने के लिए काम कर रही है। जनकल्याण परियोजनाओं या प्रमुख कार्यों, सरकारी दस्तावेजों, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं/सेवाओं आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है।

आमजन के लिये सभी सूचनाओं को 9 स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है जो नीचे दिए गए हैं :—

राजकीय दस्तावेज ▪ अधिनियम एवं नियम ▪ परिपत्र ▪ कोविड—19 आदेश ▪ अधिसूचना ▪ आदेश ▪ नीति एवं दिशा—निर्देश ▪ नागरिक घोषणा पत्र	**सुशासन** ▪ कैबिनेट निर्णय ▪ माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रमों के दौरान घोषणाएं ▪ बजट घोषणाएं ▪ जन घोषणा पत्र ▪ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र	**जन जागरूकता** ▪ विज्ञापन ▪ पोस्टर ▪ ऑडियो ▪ वीडियो
जनकल्याणकारी योजनाएं एवं सेवाएं ▪ योजनाएं ▪ सेवाएं	**नवाचार एवं उपलब्धियां** ▪ राजकीय नवाचार ▪ उपलब्धियां ▪ पुरस्कार	**विकास कार्य** ▪ परियोजनाएं
प्रोग्राम कवरेज ▪ वीडियो ▪ संबोधन	**प्रकाशन** ▪ मीडिया कवरेज ▪ विभागीय प्रकाशन ▪ विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन	**ई-कनेक्शन** ▪ वेबसाइट ▪ मोबाइल एप

- **सेंट्रलाइज्ड वॉटर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (Water SCADA)**

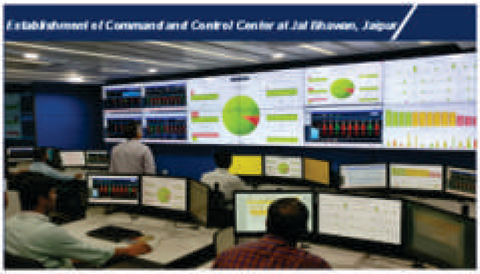

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (PHED) का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक पीने योग्य शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। पानी की उचित मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस परियोजना के तहत, राजस्थान सरकार का लक्ष्य राज्य में पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करना है। केंद्रीकृत जल सूचना प्रबंधन प्रणाली राज्य में स्थित स्काडा, आरओ, डी–फ्लुओरिडेशन यूनिट एवं सोलर बोरवेल साइटों से सूचनाओं, डेटा का संग्रहण कर केंद्रीकृत स्तर से प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। विभिन्न साइटों से संपूर्ण स्टेट डेटा सेंटर पर एकत्र किया जा रहा है, जो राज्य के केंद्रीकृत जल सूचना हब के रूप में कार्य करता है।

- **ई-लाइब्रेरी**

ई–लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ने कॉलेज की लाइब्रेरी फ़ंक्शंस को कम्प्यूटरीकृत किया है। ऐप्लीकेशन को लाइब्रेरियन से इनपुट के साथ विकसित किया गया है ताकि इसे अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाया जा सके।

सभी पुस्तकालय संचालन, जैसे – पुस्तक मुद्दा, जमा, अधिग्रहण, परिग्रहण और स्टॉक सत्यापन स्वचालित किया गया है।

सरकारी कॉलेज के पुस्तकालयों में संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह एप्लिकेशन सीमित संसाधनों के साथ दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए लाइब्रेरियन के लिए एक वरदान साबित हो रहा है।

यही आवेदन विभागीय पुस्तकालयों में भी उपयोग किया जा रहा है।

मुख्य विशेषताएं

➢ सभी पुस्तकालय प्रबंधन कार्यों का स्वचालन, जिसमें पुस्तक मुद्दा, जमा, सदस्य जोड़ आदि शामिल है।

➢ संबंधित पुस्तकालयों की वास्तविक समय स्थिति देने के लिए डैशबोर्ड की रिपोर्ट।

➢ कॉलेज की लाइब्रेरी जरूरतों के लिए अत्यधिक अनुकूलित।

➢ भौतिक पुस्तकों के डेटा का पूर्ण डेटा प्रविष्टि।

➢ आवेदन में छात्रों के डेटा के आयात के लिए DCE प्रवेश मॉड्यूल के साथ जुड़ा हुआ है।

URL: https://dce.rajasthan.gov.in/elib

- **ज्ञान-दर्पण**

ज्ञान–दर्पण एक ऑफलाइन डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन है जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

ज्ञान–दर्पण में निम्नलिखित समाधान शामिल हैं :

➢ एक कंटेंट एक्सेस मैनेजमेंट (CAM) डिवाइस स्थापित करना जो एक स्थानीय वाई–फाई बनाता है और एक स्थानीय लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (LMS) और डिजिटल सामग्री को होस्ट करता है।

➢ ऐसे छात्रों को टैबलेट प्रदान करना जो स्थानीय वाई–फाई और एक्सेस कंटेंट से जुड़ सकते हैं।

URL: https://gyandarpan.rajasthan.gov.in

- **हॉस्टल एंड स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम**

"हॉस्टल एंड स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम" आदिवासी क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों में विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और TAD विभाग द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए विकसित की जाने वाली प्रणाली है। परियोजना का उद्देश्य हॉस्टल के आंतरिक कम्प्यूटरीकरण, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यों के नियोजन, बजट, लेखा और निगरानी और प्रसंस्करण जैसी विभिन्न गतिविधियों में आई.टी. के प्रभावी उपयोग करना है। यह प्रणाली छात्रों और कर्मचारियों की उपस्थिति, बिलों का समय पर भुगतान, स्टॉक रजिस्टरों के रखरखाव, निर्धारित मेन्यू के कार्यान्वयन, व्यक्तिगत खाताधारक को सीधा लाभ, छात्रावास निरीक्षण, विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य/गतिविधियों की निगरानी, मासिक प्रगति रिपोर्टिंग, उपयोग प्रमाणपत्र और अन्य विभिन्न कार्यों की निगरानी करती है।

वर्तमान स्थिति

पंजीकृत छात्रावासों की संख्या	450
पंजीकृत छात्रों की संख्या	35000
योजनाओं की संख्या	400
संवितरित छात्रवृत्ति की संख्या	35000

- **रीको ईआरपी (RIICO ERP)**

रीको (RIICO) ने अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए के लिए ICT सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को डिजाइन और कार्यान्वित किया है। इसके संचालन से अपने कामकाज में सुधार में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और अपने हितधारकों के लिए सेवाओं की तेजी से डिलीवरी के लिए एक आवश्यकता के रूप में प्रक्रियाओं और सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण और स्वचालन की पहल की गयी है।

वर्तमान स्थिति

वेतन (HRMS मॉड्यूल)	विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का वितरण	56000
CPF मॉड्यूल	ऋण आवेदन	254
	अंतिम निपटान	196
	प्रारंभिक शेष	3415
वित्त और लेखा मॉड्यूल	वाउचर	1255685
	भुगतान एडवाइस	6596
कार्य मॉड्यूल	परियोजना और टीएस	152
भूमि मॉड्यूल	आवंटित भूखंड	61091
ई–नीलामी मॉड्यूल	उत्पन्न राजस्व (रुपये में)	20532811152
पानी का बिलिंग मॉड्यूल	कनेक्शन का आवेदन	12786

- **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन प्रणाली (IWMS)**

IWMS विभिन्न योजनाओं के तहत सभी वाटरशेड संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए विभाग (वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन (WDSC) के सशक्तिकरण के लिए एक एनबलर के रूप में कार्य करेगा। इससे आंतरिक दक्षता और प्रभावी योजना निगरानी में सुधार करने में मदद मिलेगी। एप्लीकेशन विभिन्न योजनाओं (यानी RGJSY, IWMP आदि) की विभिन्न प्रक्रियाओं को विभिन्न कार्य स्थलों की जियोटैगिंग और जीआईएस आधारित निगरानी के साथ स्वचालित करेगा एवं सभी स्थानों से जानकारी के एकल स्रोत के रूप में काम करेगा।

वर्तमान स्थिति

कुल शामिल किये गए गांव	27142
कुल कार्य	790941
कुल राशि प्राप्त हुई	रुपये 673083183

- **ई-पी.डी.एस. (Electronic Public Distribution System)**

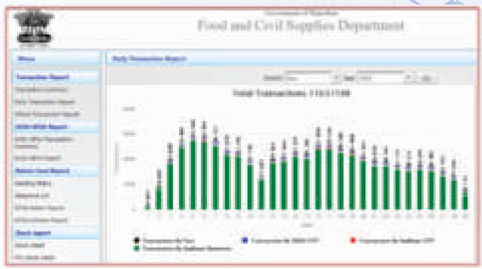

उचित मूल्य की दुकान पर आने वाले लाभार्थी को उनके Entitlement के अनुसार देय सामग्री का वितरण बायोमेट्रिक सत्यापन, OTP व बाईपास द्वारा पॉइंट आफ सेल (पोस) डिवाइस के माध्यम से।

- ट्रांजेक्शन के बाद लाभार्थी को SMS से सूचना
- लाभार्थी को ट्रांजेक्शन की रसीद (हिन्दी में)
- राशन की दुकान पर वर्तमान स्टॉक की स्थिति की जानकारी
  - ➢ 26,737 पोस डिवाइस स्थापित।
  - ➢ वर्ष 2015 से 2019 तक 98.89% पोस डिवाइस एक्टिव।
  - ➢ अब तक 54.15 करोड से ज्यादा ट्रांजेक्शन जिन्में से 95.29% आधार बायोमेट्रिक सत्यापित, 4.33% OTP सत्यापित, व 0.41% ट्रांजेक्शन बाईपास आधारित।
  - ➢ 96.23 प्रतिशत आधार सीडिंग (NFSA आधारित 1.06 करोड़ राशन कार्डों में)

वर्तमान स्थिति

➢ लगभग 26700 एफपीएस ऑनलाइन और 78 एफपीएस की ऑफलाइन ऑन–बोर्डिंग प्रगति पर है।

➢ लगभग 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवार।

➢ कई अन्य योजनाएं जैसे ICDS, केथोड़ी–सहरिया, PMGKY, आत्मानिर्भर भारत (NONNFSA-Covid), Jan Soochna, NFSA (e-Mitra) समय–समय पर एकीकृत हो रही है।

- **जी.सी.एम.एस. (Generalized Court Management System)**

यह राज्य के सभी प्रकार के न्यायालयों में विभिन्न अदालती कार्यों के मानक कार्यात्मकता वाला एक जेनेरिक प्लेटफार्म है। यह न्यायालयों के स्वचालन को न्यूनतम लीड–टाइम और अदालती कार्यवाही के मानकीकरण में सक्षम करेगा। GCMS एप्लिकेशन को पूरे केस प्रबंधन चक्र को कवर करने वाले वेब–आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में विकसित किया गया है जिसे किसी भी प्रकार की न्यायिक संगठन के कार्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

विभिन्न न्यायालयों (राजस्व, सिविल, आपराधिक आदि) की प्रक्रिया जैसे केस पंजीकरण, नोटिस/सम्मन, कॉज लिस्ट, फीडबैक, अंतिम निर्णय और कार्यान्वयन, कैविट्स, फाइल प्रबंधन,

संदेश और सहयोग और विभिन्न कार्यों पर अनुमोदन और संचालन।

वर्तमान स्थिति

न्यायालय का प्रकार	कुल मामले	लंबित मामले	निपटान किये गए मामले
BSBY	175427	119707	55720
DMG	1557	566	866
LARRA	282	181	101
REVENUE BOARD	161606	62752	98854
REVENUE COURTS	948234	434807	513427
TAX BOARD	43618	7669	35949

- **राजकौशल**

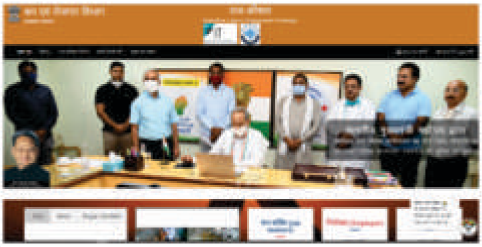

रोजगार विभाग (DoE) ने राजस्थान में आजीविका के अवसरों को मजबूत करने और राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए, "राजकौशल– जॉब मार्केटप्लेस" नामक एक नई योजना लागू की है । प्रस्तावित आईटी प्लेटफॉर्म बेरोजगार कुशल युवाओं को सशक्त करेगा, जो उद्योग और सेवा उपभोक्ताओं को उनकी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। यह प्लेटफार्म जनशक्ति डेटाबेस के रूप में सूचना के एक अद्वितीय स्रोत के रूप में काम करेगा, विभिन्न अन्य डेटा स्रोतों और सेवा प्रदाताओं की जानकारी को एकीकृत करेगा।

वर्तमान स्थिति

कुल उपलब्ध श्रम/जन–शक्ति	5255282
कुल उपलब्ध नियोक्ता	1110356
कुल उपलब्ध नौकरियां	4758
प्रोफ़ाइल अपडेट (स्वयं के द्वारा	32079
प्रोफ़ाइल अपडेट (प्रशासन द्वारा)	173389

- **ई.ई.एम.एस. (Employment Exchange Management System)**

रोजगार विभाग, GoR ने EEMS को राज्य भर में सभी उपयोगकर्ताओं (नागरिकों, व्यवसाय समुदाय और सरकार) द्वारा एक्सेस करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब आधारित ऐप्लीकेशन के रूप में लागू किया है। आंतरिक उपयोगकर्ता एंटरप्राइज़ वाइड सिक्योर इंटरफ़ेस/पोर्टल के माध्यम से

ईईएमएस के पोर्टल और ऐप्लीकेशन मॉड्यूल तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, नौकरी चाहने वालों, व्यवसाय समुदाय और अन्य पंजीकृत सार्वजनिक उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से पोर्टल को उपयोग सकते हैं। EEMS परियोजना के माध्यम से DoE का उद्देश्य राज्य में राजस्थान राज्य सरकार और रोजगार आदान–प्रदान का समर्थन करना है, ताकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बेहतर ढंग से नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को सक्षम बनाने के लिए ICT का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

वर्तमान स्थिति

पंजीकृत उम्मीदवार	1689589
भत्तों के लिए प्राप्त आवेदन	851714
अभ्यर्थीयों को अब तक की कुल राशि का भुगतान	6080394528
इस वित्तीय वर्ष पर अभ्यर्थी को देय कुल राशि (01–04–2020 से 05–11–2020)	3475256123

- **ई-तुलामान**

e-TULAMAN राजस्थान सरकार के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की G2B/G2C सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सुविधाजनक और कुशल ऑनलाइन सिस्टम की वन–स्टॉप–शॉप होगी। यह सूचना प्राप्त करने और लीगल मेट्रोलॉजी की सेवा से संबंधित जटिलता को प्रभावी रूप से कम कर देगा। इसका उद्देश्य प्रयोगशाला स्तर से ऊपर की ओर योजनाबद्ध तरीके से एक आईटी सक्षम अत्याधुनिक वर्कफ़्लो (प्रोसेस) स्वचालन प्रणाली के विकास के लिए आधारभूत संरचना और तंत्र तैयार करना है और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली भी प्रदान करना है। यह न केवल प्रयोगशाला कार्यों और उच्च स्तरों को स्वचालित करेगा, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं को जारी करने के लिए सुविधाएं और तंत्र भी बनाएगा, जैसे कि सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करना, पुनःसत्यापन आदि।

- **शहरी स्थानीय निकाय और नगर नियोजन विभाग में एंटरप्राइज-वाइड जीआईएस सिस्टम**

भारत सरकार ने 2015 में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (AMRUT) के लिए अटल मिशन शुरू किया है। जीआईएस का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। AMRUT मिशन के अनुरूप, DLB ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए आर.आई.एस.एल. के माध्यम से राज्य व्यापी जीआईएस आधारित निर्णय सहायक तंत्र (Decision Support System) प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया है जिससे बेहतर आईटी आधारित भूमि–बैंक परियोजनाएं, इंजीनियरिंग एवं विकास योजनाएं, नगरीय स्वच्छता (Sanitation) योजनाएं, कच्ची

बस्ती पुनर्वास, सम्पत्ति कर आकलन, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किए जा सके। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आर.आई.एस.एल. द्वारा राजस्थान के शहरी स्थानीय निकायों में बहुमुखी और विस्तृत लाभ प्राप्त करने के लिए जीआईएस प्रणाली के कार्यान्वयन की परियोजना प्रारंभ की गयी है। इस परियोजना में उपग्रहीय इमेजरी के आधार पर राज्य के सभी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए भू उपयोग मानचित्र और इमारतों के रूपरेखा का मानचित्रण किया जाना है। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के डेटा यथा शहरी स्थानीय निकाय की सीमाएं, सड़क डेटा, पेय जल नेटवर्क, बिजली नेटवर्क, जल निकासी नेटवर्क, संपत्ति संबंधी डेटाबेस, रेल डेटा अपडेशन, ब्रिज डेटा अपडेशन, वन सीमा, भूमि–उपयोग इत्यादि को केंद्र सरकार के AMRUT डेटाबेस में एकीकृत किया जाएगा। अंतिम चरण में, आईटी सिस्टम एकीकरण और वेब होस्टिंग किया जाएगा।

- **COVID-19 से उत्पन्न चुनौतियों से निबटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम**

COVID-19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दौरान आम जन के सहायतार्थ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा कई सफल प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

- ➢ सूचना के त्वरित प्रसरण और शिकायत समाधान हेतु एकल संपर्क सूत्र–SPoC (Single Point of Contact) की स्थापना।
- ➢ त्वरित निर्णय हेतु Face-to-Face चर्चा के लिए विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था।
- ➢ COVID-19 व मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित वेबसाइट एवं एप का संचालन।
- ➢ वर्तमान परिस्थितियों में निवासियों/प्रवासियों की सुविधा के लिए तैयार विभिन्न एप, सोशियल मीडिया कवरेज तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT) की व्यवस्था।

दिनांक– 25 मार्च 2020 से ही राज्यस्तरीय वॉर रूम स्थापित किया गया, जिसमें 2 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के तथा 2 राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के अधिकारियों के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के तकनीकी निदेशक/अतिरिक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्त्व में संचालित किया गया।

- ➢ वॉर रूम को राज्य स्तरीय 181 हेल्प लाईन के माध्यम से समस्याओं व शिकायतों का ब्यौरा हर घंटे प्राप्त हो रहा है। वॉर रूम की टीम जिला स्तर पर स्थापित वॉर रूमों से तथा अन्य राज्यों के वॉर रूमों से समन्वय स्थापित कर शिविरों की स्थापना, रोगियों का ब्यौरा (नए रोगियों की जानकारी, क्वारन्टीन की व्यवस्था पर निगरानी इत्यादि), मजदूरों इत्यादि के

अंतर्राज्यीय आवागमन, खाद्य सामग्री की आवश्यकता की आपूर्ति इत्यादि हेतु संबंधित विभागों/एजेंसियों/राज्यों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का समाधान किया गया।

- **राजस्थान संपर्क (181-हेल्प लाईन)** – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अंतर्राज्यीय आवागमन तथा अन्य सामान्य श्रेणियों से सम्बन्धित शिकायतों और समस्याओं को 181 हेल्प लाईन पर 24x7 दर्ज कराया जा रहा है। वॉर रूम द्वारा प्राप्त 2,79,206 से अधिक शिकायतों/समस्याओं में से लगभग 2,78,559 (99.8%) शिकायतों/समस्याओं का समाधान किया गया।

- **विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग** – चूँकि COVID-19 के संक्रमण काल में अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों का आवागमन प्रतिबंधित है। अतः आपस में संवाद व सूचनाओं के रूबरू (Face-to-Face) होकर प्रसरण के लिए विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के लिए पंचायत स्तर तक स्थापित किया गया। वर्तमान के महामारी काल में अब तक राज्य तथा जिला स्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुल 185 बार मे से 88 बार COVID-19 पर अन्य राज्यों, माननीय प्रधानमंत्री व अन्य जिलों से विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग की जा चुकी हैं। साथ ही जिलों से तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लगभग 2493 बार से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा चुका है।

- **COVID-19 महामारी से संबंधित वेबसाइट का संचालन** – COVID-19 के दौरान राज्य स्तर से वॉर रूम तथा अन्य स्त्रोतों से एकत्रण पश्चात जारी सूचनाओं के प्रसरण के लिए www.covidinfo.rajasthan.gov.in का संचालन किया जा रहा है। जिससे समस्त स्तरों से जारी आदेशों/निर्देशों/प्रेस विज्ञप्तियों आदि को एक ही जगह पर देखा जा सकता है। वेबसाइट पर महत्त्वपूर्ण संपर्क सूत्र भी दिए गए हैं ताकि आपात काल में आवश्यकतानुसार संपर्क कर सहायता/सुविधा प्राप्त की जा सके।

मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल एप–

कोविड–19 के दौरान आमजन के लिए खाद्य, औषधि, आवास सुविधा इत्यादि के प्रबंधन हेतु भामाशाह व सक्षम व्यक्तियों/संस्थाओं को सहयोग देने हेतु एक ऑन लाइन प्लेटफॉर्म www.cmrf.rajasthan.gov.in तथा एक एप का संचालन किया जा रहा है।

- **मोबिलिटी पास** – RajCop Citizen App के माध्यम से जिला प्रशासन, जिला पुलिस, यातायात विभाग (RTO) आदि से व्यक्तियों व वाहनों के घरों से बहिर्गमन हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु "ई–पास" प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है तथा बिना

किसी से व्यक्तिगत सम्पर्क के अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

- **RajCovidInfo App -** राज्य में भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS) के अंतर्गत तैयार की गयी प्रणाली से कोविड–19 के फैलाव को ऊष्णता आधारित नक्शों (Heat-Based) / विषयगत नक्शों (Thematic Maps) से पता लगाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा वेब पोर्टल www.corona.rajasthan.gov.in व मोबाइल एप (RajCovidInfo App) का संचालन किया जा रहा है ताकि समस्त हितधारक अपनी रणनीति तैयार कर सकें। इस एप्लीकेशन के माध्यम से चिकित्सकीय मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा उनके उपयोग की सूचना भी मिलती है। मोबाइल एप के माध्यम से जियो फेंसिंग (Geo-fencing) तकनीक के द्वारा क्वारन्टीन प्रक्रिया के क्रियान्वयन की मोनिटरिंग की सुनिश्चित की जाती है।

- **ई-बाजार एप** – कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर, नागरिक को और उनके आस–पास के दुकानदारों को आवश्यक किराने की वस्तुओं की खरीद और वितरण से जोड़ने के लिए E-Bazaar COVID-19 एप विकसित किया गया है। इस एप के माध्यम से नागरिक, विक्रेता एवं थोक व्यापारी अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपने स्थान के 1.5 किमी के भीतर पंजीकृत दुकानदारों और खरीददारों को खोज सकते हैं। नागरिक इस एप के माध्यम से कैश ऑन डिलीवरी भुगतान मोड के साथ ऑर्डर दे सकते हैं एवं अपने ऑर्डर की स्थिति की जाँच भी कर सकते हैं। नागरिक विक्रेता को एप पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा भी सकते हैं एवं स्वयं जाकर सामान ला भी सकते हैं। राज्य के सभी उपभोक्ता भंडार इस एप से जुड़े हुए हैं।

- **ई-औषधी** – ई–औषधी कोविड–19 डेशबोर्ड के माध्यम से कोविड–19 महामारी में काम में आने वाली 57 प्रकार की महत्त्वपूर्ण औषधियों व अन्य आइटमों के स्टॉक की मॉनिटरिंग की जा रही है।

- **सोशल मिडिया के माध्यम से प्रचार** – कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करने हेतु विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

8. वर्ष वार विगत तीन वर्षो के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

वर्ष 2020-2021 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2020 तक व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.12.2020
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	79780.60	2.54	78783.14	47222.50
2	NEGP	0.00	0.36	0.36	0.00
	Total	**79780.60**	**2.90**	**79783.50**	**47222.50**

वर्ष 2019-2020 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.03.2020
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	85003.70	2.00	85005.70	77398.65
2	NEGP	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**85003.70**	**2.00**	**85005.70**	**77398.65**

वर्ष 2018-2019 के वित्तीय लक्ष्य तथा व्यय

(राशि लाख में)

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.03.2019
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	80289.99	445.02	80735.01	79118.61
2	NEGP	0.00	2296.00	2296.00	0.00
	Total	**80289.99**	**2741.02**	**83031.01**	**79118.61**

9. पुरस्कार एवं प्रशंसा

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को e-Governance और I.T. के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों को विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया :–

1. **Raj Masters – Centralized Master Data Hub को**
   - Indian Express Techsabha award 2019
   - eGovernance Now award 2019 एवं
   - Skoch award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।
2. **RTI परियोजना को**
   - Skoch award से पुरस्कृत किया गया है।
3. **eSign CA Solution को**
   - eGovernance Now award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।
4. **e-Bazaar परियोजना को**
   - Skoch Award एवं
   - IMC Digital Technology Award से पुरस्कृत किया गया है।
5. **WS&APS परियोजना को**
   - Finest India Skills & Talent (F.I.ST) Awards 2019 under innovation Product of the year Security से पुरस्कृत किया गया है।
6. **BTH & BSDC** परियोजना को
   - FSAI Awards से पुरस्कृत किया गया है।
7. **Power SCADA** परियोजना को
   - Energy Conservation Awards से पुरस्कृत किया गया है।
8. **Emitra** परियोजना को
   - Best digital Transformation Award 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
   - IMC Digital Technology Awards 2018 से पुरस्कृत किया गया है।
   - Skoch Award 2019 से पुरस्कृत किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011
http://www.doitc.rajasthan.gov.in